महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

कार्यवृत्त

प्रबन्ध बोर्ड की 111वीं बैठक

दिनांक

19 मई, 2025

स्थान

बृहस्पति भवन

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय

अजमेर ।

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

प्रबन्ध बोर्ड की 111वीं बैठक

कार्यवृत्त (Minutes)

प्रबन्ध बोर्ड की 111वीं बैठक दिनांक 19.05.2025 को दोपहर 2.30 बजे बृहस्पति भवन स्थित प्रबन्ध बोर्ड कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुएः-

1. प्रो. कैलाश सोडाणी, — अध्यक्ष
   कुलपति
2. श्री शत्रुघ्न जी गौतम, माननीय विधायक — सदस्य
   (विधान सभा अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित)
3. डॉ. पंकज चौधरी — सदस्य
   (कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद्)
4. डॉ. दिग्विजय सिंह शेखावत — सदस्य
   (राज्यसरकार द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद्)
5. प्रो. शिव प्रसाद — सदस्य
   (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित आचार्य)
6. प्रो. ऋतु माथुर — सदस्य
   (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित आचार्य)
7. प्रो. अनिल दाधीच, — सदस्य
   (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष)
8. श्री भागीरथ सिंह लखावत, — सदस्य
   (संभागीय आयुक्त, प्रमुख शासन सचिव, वित्त के प्रतिनिधि)
9. कुलसचिव

<u>निम्नलिखित सदस्य अनुपस्थित रहेः-</u>

10. श्री अजय सिंह जी, माननीय विधायक — सदस्य
    (विधान सभा अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित)
11. प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा
12. प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर — सदस्य
13. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर — सदस्य

24/05/2025

बैठक में उपस्थित सदस्यों का माननीय कुलपति महोदय ने स्वागत किया तदुपरान्त कुलसचिव को प्रबन्ध बोर्ड की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया:-

मद	विवरण	अनुभाग/विभाग
मद सं. 01	प्रबन्ध बोर्ड की 106वीं बैठक दिनांक 26.09.2023, प्रबन्ध बोर्ड की 107वीं बैठक दिनांक 12.03.2024, प्रबन्ध बोर्ड की 108वीं बैठक दिनांक 11.06.2024, प्रबन्ध बोर्ड की 109वीं बैठक दिनांक 04.10.2024 एवं प्रबन्ध बोर्ड की 110वीं बैठक दिनांक 26.03.2025 के कार्यवृत्त (Minutes) की पुष्टि करना । उक्त कार्यवृत्तों की एक प्रति सभी माननीय सदस्यों को इस कार्यालय के क्रमशः पत्र क्रमांक 26957-68 दिनांक 10.10.2023, पत्र क्रमांक 6992-7000 दिनांक 16.03.2024, पत्र क्रमांक 16204-14 दिनांक 12.06.2024, पत्र क्रमांक 29545-55 दिनांक 04.10.2024 एवं पत्र क्रमांक 11520-30 दिनांक 04.04.2025 के द्वारा प्रेषित की गई ।	शैक्षणिक-I
निर्णय	प्रबन्ध बोर्ड की 106वीं बैठक दिनांक 26.09.2023, प्रबन्ध बोर्ड की 107वीं बैठक दिनांक 12.03.2024, प्रबन्ध बोर्ड की 108वीं बैठक दिनांक 11.06.2024, प्रबन्ध बोर्ड की 109वीं बैठक दिनांक 04.10.2024 की पुष्टि की गयी तथा प्रबन्ध बोर्ड की 110वीं बैठक दिनांक 26.03.2025 के कार्यवृत्त की पुष्टि निम्न प्रेक्षण के साथ की गयी:- 1. पूर्व में अंकित निर्णय "उक्त कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी" के स्थान पर "उक्त कार्यवृत्त के मद संख्या 01 की नवीं पंक्ति में अंकित दिनांक 26.03.3035 के स्थान पर दिनांक 26.03.2025 की टंकण त्रूटि सुधार करतें हुए कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी ।" पढ़ा जावे ।	
मद सं. 02	प्रबन्ध बोर्ड की 106वीं बैठक दिनांक 26.10.2023, 107वीं बैठक दिनांक 12.03.2024 एवं 108वीं बैठक दिनांक 11.06.2024 के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट का अवलोकन कर अनुमोदन करना (कार्यसूची का परिशिष्ट- 1, 2 एवं 3)	शैक्षणिक-I
निर्णय	प्रबन्ध बोर्ड की 106वीं बैठक दिनांक 26.10.2023, 107वीं बैठक दिनांक 12.03.2024 एवं 108वीं बैठक दिनांक 11.06.2024 के कार्यवृत्त की अनुपालना रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया ।	
मद सं. 03	विद्या परिषद् की 75वीं बैठक दिनांक 25.01.2024 एवं 77वीं बैठक दिनांक 23.07.2024 के कार्यवृत्त पर विचार कर पुष्टि करना । (कार्यसूची का परिशिष्ट-4 एवं 4-ए)	शैक्षणिक-I

निर्णय	उक्त कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी ।	
मद सं. 04	उप सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक 2452 दिनांक 09 मई, 2025 के अनुसार महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के कुलपति चयन हेतु गठित सर्च कमेटी से प्रो. जे.पी. सिंघल पूर्व कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के द्वारा त्याग-पत्र दे दिये जाने के कारण विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड द्वारा प्रो. जे.पी. सिंघल के स्थान पर किसी अन्य का नाम निर्देशित करने पर विचार कर निर्णय करना ।	**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**उक्त प्रकरण पर विचार-विमर्श किया गया तथा विधायक श्री शत्रुघ्न गौतम जी ने प्रो. जे.पी. सिंघल पूर्व कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के स्थान पर प्रो. राजेन्द्र बाबू दुबे का नाम सर्च कमेटी हेतु प्रस्तावित किया जिसका समर्थन डॉ. दिग्विजय सिंह जी शेखावत ने किया । तत्पश्चात् प्रबन्ध बोर्ड के द्वारा सर्वसम्मति से प्रो. राजेन्द्र बाबू दुबे, डीन एवं संकाय अध्यक्ष, राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) 313001 (मो.नं. 9694383617 एवं ई.मेल dubey_rb2006@yahoo.co.in) का नाम, कुलपति चयन हेतु गठित सर्च कमेटी के लिए मनोनीत किया गया ।**	
मद सं. 05	माननीय कुलपति महोदय के निम्नांकित प्रतिवेदित आदेशों का अभिलेखन एवं पुष्टि करनाः- (1) **प्रतिवेदन है कि,** महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में संचालित HRDC (Human Resource Development Centre) के स्थान पर Malaviya Mission Teacher Training Centre (MMTTC) परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1( )संस्था/मदसविवि/2024/1170-242 दिनांक 11.01.2024 प्रबंध बोर्ड के समक्ष प्रतिवेदनार्थ प्रस्तुत है। **(कार्यसूची का परिशिष्ट-5)**	**संस्थापन**
निर्णय	**पुष्टि की गयी ।**	
	(2) **प्रतिवेदन है कि** प्रो. एम.जगदीश कुमार, अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा माननीय राज्यपाल, राजस्थान को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायतो का निवारण) विनियम, 2023 के दिनांक 11 अप्रैल, 2023 से प्रवृत्त मान्य होने तथा उक्त विनियम के अनुसार विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध	**छात्र कल्याण केन्द्र**

	महाविद्यालयों में विद्यार्थियों की शिकायतों का निवारण करने हेतु लोकपाल नियुक्त किये जाने संबंधी पत्र प्रेषित किया गया । उक्त पत्र की पालना सुनिश्चित करने हेतु प्रमुख सचिव, राज्यपाल राजस्थान पत्र क्रमांक एफ 1 (ए)(12) आरबी/2020/2794 दिनांक 23 मई, 2023 से विश्वविद्यालय को पत्र प्राप्त हुआ । उक्त पत्र के अनुसार विश्वविद्यालय में लोकपाल नियुक्त किये जाने हेतु माननीय कुलपति महोदय के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया । माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 15.03.2024 के अनुसार प्रो. अशोक शर्मा, पूर्व कुलपति, वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय, कोटा (राज.) को महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर का तीन वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक (जो भी पहले हो) के लिए लोकपाल नियुक्त किया गया तथा उक्त आदेश को आगामी प्रबन्ध बोर्ड की बैठक में रिपोर्ट करने हेतु आदेशित किया गया । माननीय कुलपति महोदय के आदेश की अनुपालना में कार्यालय आदेश क्रमांक एफ ( )छा.क.वि./मदसविवि/ 2024/6128-77 दिनांक 16.03.2024 जारी किया गया । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-6)** अतः माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 15.03.2024 की अनुपालना में जारी किये गये कार्यालय आदेश क्रमांक एफ ( )छा.क.वि./मदसविवि/2024/6128-77 दिनांक 16.03.2024 पुष्टि हेतु मद प्रस्तुत है ।	
निर्णय	**पुष्टि की गयी ।**	
	(3) प्रतिवेदन है कि, राजस्थान सरकार द्वारा विद्यमान पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स हेतु समय-समय पर महंगाई राहत की दर में वृद्धि किये जाने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय पेंशन नियम 1990 के विनियम 29 (B) के तहत राज्य सरकार द्वारा घोषित दरों को विश्वविद्यालय पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स हेतु प्रवृत किये जाने के संबंध में माननीय कुलपति महोदय की स्वीकृति से जारी निम्नलिखित कार्यालय आदेश प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष पुष्टि/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है:-**(कार्यसूची का परिशिष्ट-07, 08 एवं 09)**	**वित्त एवं लेखा**

क्र0सं0	कार्यालय आदेश क्रमांक व दिनांक	तिथि/माह जिससे संशोधित दर प्रवृत हुई	संशोधित दर
01	F-12 (8)FD (Rules) 2017 Dated 31-10-2023 F-6 ( ) CoF/MDSU/2023/ 1616 Dated 02-11-2023	01.07.2023	42% to 46%
02	F-12 (8)FD (Rules) 2013 Dated	01.07.2023	221% to

	05-01-2024 F-6 ( ) CoF/MDSU/2024/ 4714-17 Dated 22-02-2024		230%
03	F-12 (8)FD (Rules) 2017 Dated 14-03-2024 F-6 ( ) CoF/MDSU/2024/ 488 Dated 22-03-2024	01.01.2024	46% to 50%

निर्णय	**पुष्टि की गयी ।**	
	(4) प्रतिवेदन है कि, विश्वविद्यालय की वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट का माननीय कुलपति महोदय द्वारा दिनांक 16.01.2024 के अनुमोदन की पुष्टि करना । **स्पष्टीकरणः-** विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 38 (4) के प्रावधानान्तर्गत एवं प्रबन्ध बोर्ड की दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 को आयोजित बैठक के मद संख्या 4 (3) के तहत प्रबन्ध बोर्ड के द्वारा **"भविष्य में वार्षिक प्रतिवेदन समय से तैयार कर प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करावें । यदि निकट भविष्य में प्रबन्ध बोर्ड की बैठक नहीं होनी हो तो सर्कुलेशन के आधार पर कार्यवाही कर राज्य सरकार को भिजवावे ।"** का निर्णय लिया गया है । अतः प्रबन्ध बोर्ड के उक्त निर्णय की अनुपालना में वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 के प्रारूप का माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन दिनांक 16.01.2024 पश्चात् प्रबन्ध बोर्ड की बैठक निकट भविष्य में आयोजित नहीं होने एवं संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र क्रमांक प.30 (07)मंमं/2023/01213 दिनांक 06.12.2023 की पालना में यथा समय बजट सत्र में वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 विधानसभा पटल पर प्रस्तुत करने हेतु समयाभाव को दृष्टिगत रखते हुए प्रबन्ध बोर्ड के माननीय सदस्यों से सर्कुलेशन के अभाव में शीघ्र तैयार करवाकर पांच प्रतियां माननीय मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार के सुलभ संदर्भ हेतु संयुक्त सचिव उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को विश्वविद्यालय पत्रांकः 16939 दिनांक 16.01.2024 के द्वारा प्रेषित की गयी । इसके उपरान्त 25 प्रतियां (मय पैन ड्राईव) विधानसभा के पटल पर रखे जाने हेतु संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को विश्वविद्यालय पत्रांक 17496 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा प्रेषित की गई । अतः माननीय कुलपति महोदय द्वारा दिनांक 16.01.2024 के अनुमोदन	**सामान्य प्रशासन**

	के आदेश एवं वर्ष 2023-24 के वार्षिक रिपोर्ट की प्रति प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ एवं पुष्टि हेतु प्रस्तुत है । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-10)**	
निर्णय	**पुष्टि की गयी साथ ही वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन करने हेतु माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रदान किये गये आदेश दिनांक 27.01.2025 की भी पुष्टि की गयी ।**	
	(5) प्रतिवेदन है कि, वित्त समिति की बैठक दिनांक 10.07.2023 के कार्यवृत्त में मद संख्या 11 पर विश्वविद्यालय में वित्त एवं लेखा अनुभाग से जारी होने वाले चेकों पर दोहरे हस्ताक्षर किए जाने संबंधी अनुशंसा के आधार पर प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 11.07.2023 के कार्यवृत्त की मद संख्या 17 (04) पर लिये गये निर्णय की अनुपालना में वित्त एवं लेखा अनुभाग से जारी होने वाले समस्त चैको पर एक राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर सहित दोहरे हस्ताक्षर की व्यवस्था प्रवृत्त की जाकर राशि रूपये 10.00 लाख तक के चैकों पर राजपत्रित अधिकारी के रूप में वरिष्ठ लेखाधिकारी तथा राशि रूपये 10.00 लाख से अधिक के चैकों पर वित्त नियंत्रक के हस्ताक्षर अन्य हस्ताक्षरकर्ता के साथ अधिकृत किए जाने संबंधी कार्यालय आदेश क्रमांक विवले/22844/29.08.23 जारी किया गया । अपरिहार्य परिस्थिति में एवं तात्कालिक आवश्यकता के कारण विशिष्ट प्रकरण में वित्त नियंत्रक महोदय के अवकाश पर होने तथा वरिष्ठ लेखाधिकारी के निर्वाचन कार्यालय में ड्यूटी पर होने की स्थिति में माह अक्टूबर, 2023 के वेतन भत्तों के बिल से संबंधित वृहद राशि के चैक सहायक कुलसचिव (विवले) तथा अनुभागाधिकारी (वित्त) के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किए जाने संबंधी माननीय कुलपति महोदय के आदेश/निर्देश प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष प्रतिवेदनार्थ प्रस्तुत है । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-11)**	वित्त एवं लेखा
निर्णय	**पुष्टि की गयी ।**	
	(6) प्रतिवेदन है कि, राजस्थान सरकार द्वारा विद्यमान पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स हेतु समय-समय पर महंगाई राहत की दर में वृद्धि किये जाने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय पेंशन नियम 1990 के विनियम 29 (B) के तहत राज्य सरकार द्वारा घोषित दरों को विश्वविद्यालय पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स हेतु प्रवृत किये जाने के संबंध में माननीय कुलपति महोदय की स्वीकृति से जारी निम्नलिखित कार्यालय आदेश प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष	वित्त एवं लेखा

<table>
<tr>
<td></td>
<td>पुष्टि/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है:-(कार्यसूची का परिशिष्ट- 12 एवं, 13)
<table>
<tr><th>क्र0सं0</th><th>कार्यालय आदेश क्रमांक व दिनांक</th><th>तिथि/माह जिससे संशोधित दर प्रवृत हुई</th><th>संशोधित दर</th></tr>
<tr><td>01</td><td>F-12 (8)FD (Rules) 2013 Dated 28-06-2024
F-6 ( ) CoF/MDSU/2024/ 1118-1121 Dated 08-08-2024</td><td>01.01.2024</td><td>230% to 239%</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>निर्णय</td>
<td>पुष्टि की गयी ।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(7) प्रतिवेदन है कि, माननीय कुलपति महोदय के द्वारा विश्वविद्यालय की विभिन्न बैठकों (प्रबन्ध बोर्ड के अतिरिक्त) में बाह्य व आंतरिक सदस्यों/शिक्षकों को आने के लिए देय स्थानीय वाहन भत्ता (Local Conveyance Charge) को Fuel Charges तथा Taxi Charges में हुई वृद्धि के दृष्टिगत (Both Side) रू.200/- प्रतिदिन की दर से भुगतान किये जाने तथा विश्वविद्यालय की विभिन्न बैठकों तथा परीक्षा एवं प्रशासनिक कार्य से स्वयं के वाहन और किराये के वाहन से आने-जाने हेतु राशि रू. 12/- प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान किये जाने के आदेश दिनांक 03.02.2025 को प्रदान किये गये ।

माननीय कुलपति महोदय के उक्त आदेश की अनुपालना में कार्यालय आदेश क्रमांक एफ-2 ( ) सा.प्र./मदसविवि/2025/3851 दिनांक 07.02.2025 जारी किया गया । (कार्यसूची का परिशिष्ट-14)

माननीय कुलपति महोदय के आदेश की अनुपालना में जारी कार्यालय आदेश प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष पुष्टि हेतु प्रस्तुत है ।</td>
<td>सामान्य प्रशासन</td>
</tr>
<tr>
<td>निर्णय</td>
<td>उक्त मद पर विचार-विमर्श किया गया तथा विश्वविद्यालय की विभिन्न बैठकों में बाह्य व आंतरिक सदस्यों/शिक्षकों को आने-जाने हेतु निम्नानुसार वाहन भत्ता/वाहन किराये का भुगतान किये जाने निर्णय लिये गये:-
अ- स्थानीय वाहन भत्ते की राशि को Fuel Charge एवं Taxi Charges में हुई वृद्धि के दृष्टिगत (Both Side) राशि रूपये 200/-प्रतिदिन किया जाये ।
ब- विश्वविद्यालय की विभिन्न बैठकों तथा परीक्षा एवं प्रशासनिक कार्य से स्वयं के वाहन और किराये के वाहन से आने-जाने हेतु राशि</td>
<td></td>
</tr>
</table>

	रूपये 12/- प्रति किलोमीटर की दर से (टोल टेक्स अतिरिक्त) भुगतान किया जाये ।	
	(8) प्रतिवेदन है कि, विश्वविद्यालय में निजी सहायक के पद पर कार्यरत श्री संदीप भाटी द्वारा स्वयं के स्वामित्व के आवासीय भवन की मरम्मत एवं रिनोवेशन हेतु विश्वविद्यालय के भवन निर्माण अग्रिम नियमों के तहत अग्रिम राशि की स्वीकृति किये जाने संबंधी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । विश्वविद्यालय भवन निर्माण अग्रिम नियमावली के नियम 113.4 (VII) के अनुसार न्यूनतम पांच वर्ष या अधिक की सेवा अवधि शेष होने पर ही अग्रिम स्वीकृति का प्रावधान है । श्री संदीप भाटी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करते समय उनकी शेष सेवा अवधि नियमानुसार वांछित सेवा अवधि 05 वर्ष की तुलना में अत्यल्प न्यून अर्थात 04 वर्ष 09 माह होने एवं अग्रिम की मूल राशि की मय ब्याज वसूली उनकी शेष सेवा अवधि में ही कर लिये जाने संबंधी गणना एवं विद्यमान नेट वेतन को ध्यान में रखते हुए उक्त नियम में शिथिलता प्रदान कर माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 25.02.2025 के अनुसरण में भवन मरम्मत अग्रिम की राशि 10,21,200/- का स्वीकृति पत्र क्रमांक 93 दिनांक 06.03.2025 जारी किया गया । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-14-ए)** उपर्युक्त वर्णित परिस्थितियों में प्रकरण विशेष में दी गई शिथिलता के साथ जारी स्वीकृति पत्र की पुष्टि प्रबन्ध बोर्ड द्वारा किये जाने हेतु स्वीकृति पत्र एवं तत्संबंधी मद प्रतिवेदनार्थ प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है ।	लेखा एवं वित्त
निर्णय	**पुष्टि की गयी ।**	
मद सं. 06	प्रबंध बोर्ड की 106वीं बैठक दिनांक 26.09.2023 के मद संख्या 13 के निर्णय की अनुपालना में डॉ0 ईश्वर प्रकाश दाधीच, सहायक प्रशासनिक अधिकारी को पत्र क्रमांक एफ.1( )संस्था/मदसविवि/ 2023/ 26952 दिनांक 10.10.2023 के द्वारा सूचित किया गया कि सहायक के पद पर पदोन्नति का प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर होने के कारण भविष्य में विपरीत निर्णय होने की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए वादियों द्वारा चाहे गये अनुतोष के आधार पर Due drawn Statement तैयार करवाकर अन्तर की राशि को माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अध्यधीन रोकने हेतु (with hold) वित्त विभाग के प्रस्ताव से सहमत होने का शपथ पत्र दिये जाने पर स्वैच्छिक सेवानिवृति स्वीकृत की जाएगी। **(कार्यसूची का परिशिष्ट-15)** डॉ0 दाधीच ने पत्र दिनांक 11.10.23 के द्वारा Due drawn Statement उपलब्ध करवाने हेतु	संस्थापन

	निवेदन किया। पत्र क्रमांक एफ.1( )संस्था/मदसविवि/ 2024/ 4184 दिनांक 14.02.2024 के द्वारा Salary Difference Statement की छाया प्रति उनको उपलब्ध करवाई गई जिसके प्रत्युत्तर में पत्र दिनांक 17.02.2024 के द्वारा डॉ0 दाधीच ने सूचित किया कि स्वैच्छिक सेवानिवृति के लिए शपथ पत्र देना संभव नहीं है। **(कार्यसूची का परिशिष्ट-16)** अतः स्वैच्छिक सेवानिवृति का प्रार्थना पत्र निरस्त मानने की कृपा करें। डॉ0 दाधीच की स्वैच्छिक सेवानिवृति का प्रकरण प्रबंध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	
निर्णय	**उक्त प्रकरण पर गहन विचार-विमर्श कर निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः-** **1. डॉ. ईश्वर प्रकाश दाधीच, सहायक प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा दिये गये स्वैच्छिक सेवानिवृति के प्रार्थना-पत्र को निरस्त किया जाये ।** **2. डॉ. दाधीच को अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत किये जाने हेतु बंद लिफाफा खोला जा चुका है तथा माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा डॉ. दाधीच को आगामी पद पर पदोन्नति देने हेतु कोई रोक नहीं लगायी गयी है । अतः इन्हें आगामी पद पर नियमानुसार पदोन्नत किये जाने की कार्यवाही की जाये ।** **3. डॉ. दाधीच के सेवानिवृत होने के समय तक यदि माननीय उच्च न्यायालय में दायर संबंधित वाद में कोई निर्णय नहीं आता है तो उस स्थिति में, विश्वविद्यालय नियमानुसार इन्हे दिये जाने वाले समस्त परिलाभों का भुगतान कर दिया जाये तथा डॉ. दाधीच से इस आशय का एक शपथ-पत्र ले लिया जाये कि भविष्य में माननीय उच्च न्यायालय में दायर संबंधित वाद में मेरी पदोन्नति के संबंध में यदि कोई विपरीत निर्णय आता है तो मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना की जायेगी तथा यदि कोई राशि मेरे द्वारा जमा कराये जाने की देयता बनती होगी तो उक्त राशि मेरे द्वारा विश्वविद्यालय में जमा करा दी जायेगी ।**	
मद सं. 07	श्री मुकेश कुमार मंत्री, अस्थायी टेलीफोन ऑपरेटर द्वारा उपरोक्त एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 16323/2010 में माननीय न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.03.2022 में उमा देवी (Supra) के प्रकरण में 10 वर्ष से अधिक की सेवा पर अनियमित रूप से नियुक्त कार्मिक को सहानुभूति रखते हुए नियमित नियुक्ति पर विचार किये जाने के उद्दरण के साथ ही कार्मिक श्री मुकेश कुमार मंत्री को स्थायी रूप से विकलांग (Blind) होने के कारण नियमितीकरण किये जाने के आदेश प्रदान किये गये थे। (कार्यसूची **का परिशिष्ट-17)**	**संस्थापन**

	एकल पीठ के आदेश दिनांक 21.03.2022 को जरिये डी.बी. स्पशेल अपील (रिट) नंबर 600/2023 को माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में चुनौती दी गई। माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा दिनांक 25.08.2023 को आदेश पारित करते हुए विश्वविद्यालय की अपील खारिज कर दी एवं निर्देश दिये गये कि "We find that challenge is made to the order of Ld, Single Judge only on the ground that presumption of existence of vacancy was worngly drawn. The fact that respondent had been working in the University for the last 30 years and was being paid remuneration on the pay scale, prompted Ld. Single Judge to draw this presumption. An argument that the vacancy is not sanctioned cannot be accepted. If there are any technical compliance required to be drawn by the University, it is open for the University to enter into communication with the State. If the University communicates with the State Government regarding formal sanction, the State would be obliged to pass appropriate order in the spirit of directions issued by Ld. Single Judge in this case.The relief granted by Ld.Single Judge in this case. The relief granted by Ld.Single Judge are not interfere with. The appeal is accordingly dismissed. " (कार्यसूची का परिशिष्ट-18) विश्वविद्यालय में टेलीफोन ऑपरेटर का पद रिक्त नहीं होने के कारण पालना नहीं की जा सकी जिस कारण श्री मुकेश कुमार मंत्री द्वारा अवमानना संख्या सीसीपी/446/2023 दायर कर दी गई है। माननीय न्यायालय एकल पीठ द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध यद्यपि विश्वविद्यालय द्वारा माननीय न्यायालय की खण्डपीठ में अपील दायर कर दी गई थी, किन्तु अपील माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा दिनांक 25.08.2023 को खारिज कर दी गई। एकल पीठ के आदेश दिनांक 21.03.2023 की पालना नहीं होने के कारण न्यायालय की अवमानना कार्यवाही की अप्रिय स्थिति से बचने के लिये श्री मुकेश कुमार मंत्री को वर्तमान में रिक्त चल रहे टेलीफोन ऑपरेटर के पद पर नियुक्ति दिये जाने की स्वीकृति हेतु संयुक्त सचिव उच्च शिक्षा, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को पत्र क्रमांक एफ.1( )संस्था/मदसविवि/2023/30774 दिनांक 11.12.2023 प्रेषित किया गया जिसके प्रत्युत्तर में सयुक्त सचिव उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) द्वारा सूचित किया गया कि "प्रकरण मे डी.बी. स्पेशल अपील (रिट) नंबर 600/2023 कुलपति महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर व अन्य बनाम मुकेश कुमार मंत्री में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.08.2023 को विभाग द्वारा दायर डी.बी. स्पेशल अपील को खारिज की गई है। अतः पारित निर्णय दिनांक 25.08.2023 के विरूद्ध एस.एल.पी./नो एस.एल.पी. का निर्णय विश्वविद्यालय के सक्षम स्तर से लिया जाना अपेक्षित है। (कार्यसूची का परिशिष्ट-19 एवं 20) विश्वविद्यालय के विधि सलाहकार की राय अनुसार पूर्व में भी श्रमिकगणों	

	के प्रकरण में जिनमें उनकी नियुक्ति के Regularization एवं Regular Pay के प्रकरण थे उनमें विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा माननीय श्रम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय एकल पीठ एवं माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ के आदेशों के विरूद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में एस.एल.पी. दायर की थी, परन्तु उक्त सभी प्रकरणों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विश्वविद्यालय की एस.एल.पी. खारिज करते हुए श्रमिकगणों को नियमित नियुक्ति एवं वेतन भत्ते का परिलाभ श्रम न्यायालय व उच्च न्यायालय के आदेशानुसार ही दिया गया है। अतः उनके द्वारा डी.बी. स्पेशल अपील (रिट) नंबर 600/2023 कुलपति महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर व अन्य बनाम मुकेश कुमार मंत्री में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.08.2023 के विरूद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में एस.एल.पी. दायर नहीं करने की राय दी है। अतः पारित निर्णय दिनांक 25.08.2023 के विरूद्ध एस.एल.पी./नो एस.एल.पी. का निर्णय विश्वविद्यालय के सक्षम स्तर से लिया जाना अपेक्षित है। प्रकरण प्रबंध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	
निर्णय	उक्त प्रकरण पर गहन विचार-विमर्श किया गया । सदन को अवगत कराया गया कि उक्त मद पुराना है इसलिए इस मद में एस.एल.पी./नो एस.एल.पी. पर विचार कर निर्णय किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है । वर्तमान में तथ्य यह है कि इस प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 16323/2010 एवं डी.बी. स्पेशन अपील (रिट) संख्या 600/2023 में पारित निर्णय की पालना किये जाने के क्रम में माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 11.11.2024 की अनुपालना में श्री मुकेश कुमार मंत्री को टेलिफोन ऑपरेटर के पद पर दिनांक 01.11.2018 से नियुक्ति प्रदान कर दी गयी है । अतः माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 11.11.2024 की पुष्टि की जानी है । चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों का मत था कि विश्वविद्यालय के द्वारा प्रार्थी श्री मुकेश कुमार मंत्री को दिनांक 01.11.2018 से नियुक्ति प्रदान की गयी है जबकि इन्हें माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ एवं खण्ड पीठ के आदेशानुसार नियुक्ति दी जानी चाहिए । कुलसचिव ने अवगत कराया कि टेलिफोन ऑपरेटर का पद दिनांक 01.11.2018 को रिक्त हुआ है । अतः पद रिक्त होने की तिथि से इनको टेलिफोन ऑपरेटर के पद पर नियुक्ति दिये जाने हेतु नियुक्ति-पत्र जारी किया गया है । माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना में पद की स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त होने पर ही इन्हें तद्नुसार नियुक्ति प्रदान की जा सकती है । चूंकि प्रार्थी मुकेश कुमार मंत्री Permanent disabled एवं Blind व्यक्ति है। अतः उक्त पर तथ्यों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए उक्त प्रकरण पर निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः- 1. माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय में जिस तिथि से श्री मुकेश कुमार मंत्री को नियुक्ति दिये जाने के आदेश प्रदान	

	किये गये है उस तिथि से छाया पद के नियमों के अनुसार अथवा किसी अन्य रिक्त पद के विरूद्ध, जो भी विकल्प उपलब्ध हो, के तहत, नियमानुसार टेलिफोन ऑपरेटर के पद पर नियुक्ति प्रदान की जाये ।	
मद सं. 08	राजस्थान सरकार वित्त विभाग (Rules Division) द्वारा जारी नोटिफिकेशन No.F.15(1)FD/Rules/2017 Pt. Jaipur, dated 06-10-2023 द्वारा Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules 2017 में संशोधन करते हुए Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Fifth Amendment Rules 2023 में (नियम 14 में संशोधन) Scheme of Modified Assured Career Progression (MACP) से संबंधित है, उक्त आदेश विश्वविद्यालय में दिनांक 01.04.2023 से प्रवृत्त एवं मान्य किये जाने हेतु प्रबंध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है। (कार्यसूची का परिशिष्ट-21)	संस्थापन
निर्णय	अधिसूचना क्रमांक **F.15(1)FD/Rules/2017 Pt. Jaipur, dated 06-10-2023** को विश्वविद्यालय में प्रवृत्त एवं मान्य किये जाने का निर्णय लिया गया ।	
मद सं. 09	प्रो. शिव प्रसाद विभागाध्यक्ष, प्रबन्ध अध्ययन संकाय से प्राप्त प्रार्थना पत्रानुसार राजनीतिक पार्टी में सम्मिलित होने एवं चुनाव में भाग लेने हेतु विश्वविद्यालय Conduct and Discipline Rules 17 Further rules of conduct in addition to the above के नियम संख्या (2) एवं (3) के प्रावधानान्तर्गत अनुमति चाही है । (कार्यसूची का परिशिष्ट-22) उक्त प्रार्थना-पत्र पर विचार कर निर्णय हेतु मद प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।	संस्थापन
निर्णय	उक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।	
मद सं. 10	विद्या परिषद् की 75वीं बैठक दिनांक 25.01.2024 के कार्यवृत्त के मद संख्या 08 (01) पर निर्णया लिया गया कि- **"डॉ. ममता अरोड़ा एवं प्रो. रीटा मेहरा ने क्रमशः अपने पिताजी प्रो. एस.एन. मेहरा एवं माताजी श्रीमती कुसुम मेहरा के नाम पर एम.एससी. रसायनशास्त्र/एप्लाइड रसायनशास्त्र के सामान्य श्रेणी के टॉपर विद्यार्थी को स्कॉलरशिप दिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा प्रो. मेहरा के द्वारा उक्त प्रस्ताव के साथ ही स्कॉलरशिप दिये जाने हेतु शर्ते भी निर्धारित की गयी थी । इन शर्तो पर चर्चा करने के दौरान उपस्थित सदस्यों ने प्रो. मेहरा के स्कॉलरशिप दिये जाने के प्रयास की प्रशंसा की परन्तु नियम एवं शर्तो के संबंध में मतेक्य नहीं था । प्रो. रीटा मेहरा द्वारा निर्धारित शर्तो में किसी भी प्रकार के**	शैक्षणिक-I

	परिवर्तन/संशोधन से मना कर दिया गया । अतः सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त प्रस्ताव को आगामी प्रबन्ध बोर्ड की बैठक में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत कर दिया जाय ।" अतः उक्त प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।	
निर्णय	**डॉ. कुसुम अरोड़ा एवं प्रो. रीटा मेहरा ने अपने पिताजी प्रो. एस.एन. मेहरा एवं माताजी श्रीमती कुसुम मेहरा के नाम पर एम.एससी. रसायनशास्त्र/एप्लाइड रसायनशास्त्र के सामान्य श्रेणी के टॉपर विद्यार्थी को स्कॉलरशिप दिये जाने की निर्धारित शर्तो में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन करने से मना कर दिया है । अतः विश्वविद्यालय में उक्त स्कॉलरशिप को लागू नहीं करने का निर्णय लिया गया ।**	
मद सं. 11	डॉ0 सतीश अग्रवाल को कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1( )संस्था/मदसविवि/2018/750 दिनांक 19.10.2018 अनुसार भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा 50,000/- रूपये के रिश्वत प्रकरण में दिनांक 15.10.2018 को रंगे हाथों गिरफ्तार किये जाने, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधन) अधिनियम 2018 में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 290/18 दर्ज किये जाने तथा दिनांक 15.10.2018 से निरन्तर न्यायिक अभिरक्षा में लिये जाने के कारण, उन्हें दिनांक 15.10.2018 से तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया गया। **(कार्यसूची का परिशिष्ट-23)** डॉ0 सतीश अग्रवाल द्वारा निलम्बन से बहाली हेतु माननीय राज्यपाल महोदय के समक्ष आवेदन किया है, जो विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ है। अतः डॉ0 सतीश अग्रवाल को निलम्बन से बहाल करने हेतु इनका प्रकरण कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.2(157) कार्मिक/क-3/शिका/97 जयपुर दिनांक 22.03.2023 में वर्णित प्रावधान A (1) के अन्तर्गत आता है जिसके अनुसार- किसी लोकसेवक को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया जाता है अथवा भ्रष्टाचार से संबंधित अन्य मामले में 48 घंटों से अधिक समय तक पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में रखा जाता है तो संबंधित लोक सेवक को तत्काल निलम्बित किये जाने पर लोक सेवकों के ऐसे प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति जारी होने तथा सक्षम न्यायालय में चालान पेश होने की स्थिति में उनके प्रकरण निलम्बन से बहाली हेतु गठित पुनर्विलोकन समिति के समक्ष विचारार्थ रखे जायेंगे। **(कार्यसूची का परिशिष्ट-24)** डॉ0 सतीश अग्रवाल के प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति जारी हो चुकी है एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट 290/2018 में चालान प्रस्तुत हो गया है।	**संस्थापन**

विश्वविद्यालय अधिनियम (M.D.S.U. Ajmer Act 1987 with Amendment) अध्यादेश इत्यादि में उक्त समिति के गठन बाबत प्रावधान नहीं होने के कारण राज्य सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.2(157)कार्मिक/क-3/शिका/97 जयपुर दिनांक 22.03.2023 को प्रवृत्त मान्य करने एवं उक्त परिपत्र के क्रम में पुर्नविलोकन समिति गठित करने हेतु राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु प्रकरण प्रबंध बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय

राज्य सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 2(157)कार्मिक/क-3/शिका/97 जयपुर दिनांक 22.03.2023 को विश्वविद्यालय में प्रवृत्त एवं मान्य किये जाने का निर्णय लिया गया तथा अधिसूचनानुसार **पुनर्विलोकन समिति के गठन के संबंध में राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग एवं गृह विभाग को पत्र प्रेषित कर राय/मार्गदर्शन प्राप्त कर तद्नूसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया ।**

मद सं. 12 — परीक्षा नियंत्रक

1. विश्वविद्यालय पत्रांक एफ ( )गोप-I/मदसविवि/2015/1455 दिनांक 28-01-2015 (**कार्यसूची का परिशिष्ट-25**) के अनुसार विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा, पूरक परीक्षा, सैमेस्टर एवं पुनर्मूल्यांकन की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन करवाने पर प्राचार्य/समन्वयकों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक की संशोधित दरें निम्नानुसार देय रही हैं:-

क्र.सं.	विवरण	दर रू. (प्रति बण्डल) (वर्ष 2015 से लागू)
1.	समन्वयक	30/-
2.	संबंधित लिपिक	20/-
3.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	10/-
4.	टेलीफोन चार्जेज (प्रति बण्डल 3 बार)	06/-
5.	समन्वयक (विवि क्षेत्राधिकार के बाहर) टैक्सी चार्जेज	75/-
	कुल योग	**141/-**

नोटः- बिन्दु संख्या 5 पर अंकित समन्वयक हेतु 1 से 4 बिन्दु भी लागू रहेंगे।

2. जबकि विश्वविद्यालय द्वारा जारी पत्रांक F. ( )Secy-I/MDSU/19/02-270 दिनांक 01-11-2019 (कार्यसूची का **परिशिष्ट-26**) के अनुसार उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु समन्वयकों को किये जाने वाले भुगतान की दरें निम्नानुसार रही

हैं।

क्र.सं.	विवरण	दर रू. (प्रति बण्डल)
1.	Coordinator	20/-
2.	One Ministerial Staff	09/-
3.	One Cycle Sawar / Peon	06/-
4.	Distribution/Collection of Packets to/from the Examiner	65/-
5.	Telephone Charges	06/-
6	Incententive for expediting the assessment of answer book in time	05/-
	कुल योग	111/-

3. इसके पश्चात् आगे के वर्षों 2020 से 2023 तक के सभी समन्वयकों को उपरोक्त **बिन्दु संख्या 01** के अनुसार ही दरों से उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु बण्डलों के पारिश्रमिक भुगतान की कार्यवाही सम्पन्न हो चुकी है।
4. चूँकि वर्ष 2020 से 2023 तक की परीक्षाओं के समन्वयकों के पारिश्रमिक बिलों के भुगतान की कार्यवाही हो चुकी है एवं परीक्षा 2024 के लिये प्रक्रियाधीन है । अतः वर्ष 2020 से 2023 तक उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु बण्डलों के पारिश्रमिक भुगतान की दरों की बिन्दु संख्या 01 के अनुसार कार्योत्तर स्वीकृति एवं परीक्षा 2024 हेतु भी बिन्दु संख्या 01 के अनुसार दरों के भुगतान की स्वीकृति बाबत् प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

उक्त प्रकरण पर गहन विचार-विमर्श कर निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

अ- वर्ष 2020 से 2023 तक की अवधि तक कार्यालय आदेश क्रमांक एफ ( )गोप-I/मदसविवि/2015/1455 दिनांक 28.01.2015 के अनुसार किये गये भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी ।

ब- वर्ष 2024 की परीक्षा से परीक्षा समन्वयकों को कार्यालय आदेश क्रमांक एफ ( )गोप-I/मदसविवि/2015/1455 दिनांक 28.01.2015 के अनुसार ही भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया ।

मद सं. 13	वित्त समिति की 43वीं बैठक दिनांक 24.02.2024 के कार्यवृत्त की मद संख्या 04 को छोड़कर शेष मद प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ, निर्णयार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-27)** उल्लेखनीय है कि वित्त समिति की 43वीं बैठक दिनांक 24.02.2024 के कार्यवृत्त में से मद संख्या 04 का प्रबन्ध बोर्ड की 107वीं बैठक दिनांक 12.03.2024 के निर्णय संख्या 01 के माध्यम से अनुमोदन किया जा चुका है ।	**लेखा एवं वित्त**
निर्णय	**वित्त समिति की 43वीं बैठक दिनांक 24.02.2024 के कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या 04 का अनुमोदन पूर्व में ही प्रबन्ध बोर्ड की 107वीं बैठक दिनांक 12.03.2024 को किया जा चुका है । अतः उक्त कार्यवृत्त के शेष मदों की पुष्टि की गयी ।**	
मद सं. 14	प्रबन्ध बोर्ड एवं विद्या परिषद् की भाँति वित्त समिति के सदस्यों को भी यात्रा भत्ता/स्थानीय वाहन भत्ते के साथ कम से कम राशि रू. 1000/- सिटिंग चोर्जेज के भुगतान करने पर विचार करना । विश्वविद्यालय में प्रबन्ध बोर्ड, विद्या परिषद की भाँति अधिनियम धारा 37 अन्तर्गत वित्त समिति को भी सांविधिक निकाय के रूप में निर्दिष्ट किया हुआ है । अधिनियम के पृष्ठ प्रति **(कार्यसूची का परिशिष्ट-28)** अवलोकनार्थ संलग्न है वर्तमान में प्रबन्ध बोर्ड के प्रत्येक माननीय सदस्य को 2000/- विद्या परिषद के प्रत्येक सदस्य को राशि रू0 1000/- बैठकों हेतु सिटिंग चार्जेज के भुगतान हेतु सक्षम प्राधिकार से आदेश पूर्व से जारी किये हुए हैं **(कार्यसूची का परिशिष्ट-29)** वित्त समिति के लिए उक्त प्रयोजनार्थ किसी प्रकार के कोई आदेश कतिपय कारणों से अभी तक जारी नहीं हो सके है जबकि वित्त समिति में भी प्रबन्ध बोर्ड की तर्ज पर राज्य सरकार के शासन सचिव, उच्च शिक्षा तथा वित्त विभाग के उच्चाधिकारियों द्वारा बाह्य सदस्यों के रूप मे सहभागिता की जाती है तथा माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में प्रबंध बोर्ड के नामित सदस्य एवं सदस्य सचिव के रूप में वित्त नियंत्रक उपस्थित होते हैं । अतः वित्त समिति के स्तर को ध्यान में रखते हुए सदस्यों को यात्रा भत्ता/स्थानीय वाहन भत्ता के साथ कम से कम राशि रू. 1000/- सिटिंग चोर्जेज के रूप में भुगतान किये जाने हेतु प्रस्तुत मद प्रबन्ध बोर्ड की बैठक में विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।	**लेखा एवं वित्त**

<table>
<tr>
<td>निर्णय</td>
<td>

उक्त प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया । प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों में प्रबन्ध बोर्ड, विद्या परिषद्, अध्ययन बोर्ड/पाठ्यक्रम समिति इत्यादि समितियों को दिये जाने सिटिंग चार्जेज की तुलना में विश्वविद्यालय में दिये जा रहे सिटिंग चार्ज काफी कम होने के कारण, आज दिनांक 19.05.2025 से निम्नानुसार सिंटिंग चार्ज दिये जाने का निर्णय लिया गयाः-

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>बैठक/समिति का नाम</th><th>सिंटिंग चार्ज (प्रतिदिन)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>कुलपति चयन समिति के सदस्यों हेतु</td><td>5,000/- प्रति सदस्य</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>प्रबन्ध बोर्ड के सदस्यों हेतु</td><td>4,000/- प्रति सदस्य</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>विद्या परिषद् के सदस्यों हेतु</td><td>2,000/- प्रति सदस्य</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>अध्ययन बोर्ड/पाठ्यक्रम समिति के सदस्यों हेतु</td><td>1,000/- प्रति सदस्य</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>वित्त समिति के सदस्यों हेतु</td><td>1,000/- प्रति सदस्य</td></tr>
</table>

</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>मद सं. 15</td>
<td>

राजभवन के पत्र क्रमांक एफ. 1 (38) आरबी / 2015 / 6462 दिनांक 21.08.2017 **(कार्यसूची का परिशिष्ट-30)** द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना में विश्वविद्यालय द्वारा मानदेय भुगतान सीमा प्रकरण प्रथमतः प्रबन्ध बोर्ड की 94वी बैठक दिनांक 30.06.18 के मद संख्या 17 अन्तर्गत विश्वविद्यालय के शिक्षको / अधिकारियों/कर्मचारियों को मानदेय/पारिश्रमिक/ओवरटाईम एक वर्ष में अधिकतम 01 लाख तक भुगतान सीमिति रखने हेतु कार्यालय आदेश क्रमांक 67421 दिनांक 19.07.18 **(कार्यसूची का परिशिष्ट-31)** जारी किया गया, किन्तु विश्वविद्यालय की वार्षिक गतिविधियों को स्टॉफ द्वारा नियमित सम्पन्न कराने में उत्पन्न हुई कठिनाईयों को दूर करने हेतु प्रकरण पुनः प्रबन्ध बोर्ड की 97वीं बैठक दिनांक 03.06.2020 में मद संख्या 12 के निर्णय की पालना में कार्यालय आदेश क्रमांक 10561 दिनांक 18.07.20 **(कार्यसूची का परिशिष्ट-32)** जारी कर उपरोक्त मानदेय भुगतान की 1.00 लाख सीमा से मुक्त कर दिया गया ।

चूंकि मामला वित्तीय गतिविधि से सीधा जुड़ा हुआ है इसलिए एक बार पुनः वित्त समिति की 41वी बैठक दिनांक 10.07.23 के कार्यवृत्त मद संख्या 3 A अन्तर्गत विश्वविद्यालय के कार्मिकों/अधिकारियों को मानदेय/ पारिश्रमिक/ओवरटाईम इत्यादि के भुगतान की प्रबन्ध मण्डल की 105वीं बैठक दिनांक 11.07.23 के मद संख्या 17 के माध्यम से तय की

</td>
<td>लेखा एवं वित्त</td>
</tr>
</table>

	गई सीमा एक वर्ष में अधिकतम 1.00 लाख तक सीमित रखने हेतु कार्यालय आदेश क्रमांक मदसविवि/परीक्षा - यू.जी./2023/ 25023-33 दिनांक 19.09.2023 **(कार्यसूची का परिशिष्ट-33)** जारी किया गया। यह उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय के प्रबन्धन को शैक्षणिक अशैक्षणिक एवं वार्षिक गतिविधियाँ (परीक्षात्मक एवं गोपनीय कार्य) के नियमित संचालन हेतु स्टाफ की कमी एवं कार्यो की गुणवत्ता के दृष्टिकोण से कुछ कार्मिकों से कार्य समयबद्ध सम्पन्न कराना आवश्यक होता है ऐसी स्थिति में सम्बन्धित कार्मिको/अधिकारियों का पिछले वर्षों का बकाया मानदेय प्रक्रियात्मक में देरी की वजह से एक वित्तीय वर्ष में उपरोक्त तय सीमा 1.00 लाख से अधिक हो जाती है । अतः ऐसी परिस्थितियों में एक वर्ष में मानदेय भुगतान 1.00 लाख की सीमा मे शिथिलता/मुक्ति प्रदान कराने हेतु प्रकरण पुनः प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।	
निर्णय	**उक्त प्रकरण पर गहनता से विचार-विमर्श कर निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः-** अ- विश्वविद्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को एक वित्तीय वर्ष में मानदेय/पारिश्रमिक/ओवरटाईम इत्यादि के भुगतान की अधिकतम सीमा राशि रूपये 1.00 लाख माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा निर्धारित की गयी है । अतः एक वित्तीय वर्ष में मानदेय/ पारिश्रमिक/ओवरटाईम इत्यादि के भुगतान की अधिकतम सीमा राशि रूपये 1.00 लाख के स्थान पर राशि रूपये 1.50 लाख किये जाने का प्रस्ताव माननीय कुलाधिपति महोदय को भिजवाया जाये । **ब-कार्मिकों को सातवें वेतनमान के अनुसार मानदेय/ पारिश्रमिक/ओवरटाईम इत्यादि का भुगतान किये जाने के संबंध में गठित समिति में वित्त समिति के सदस्य भी है। अतः उक्त समिति की बैठक दिनांक 02.04.2024 के कार्यवृत्त (कार्यवृत्त का परिशिष्ट-1) को स्वीकार किया गया तथा जो कार्मिक वर्तमान में छठे वेतनमान के अनुरूप वेतन ले रहे है उन्हें पूर्व में प्रभावी आदेशानुसार मानदेय/ पारिश्रमिक/ओवरटाईम इत्यादि का भुगतान किया जाये ।**	
मद सं. 16	कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1( )संस्था/मदसविवि/ 2021/ 2250-60 दिनांक 05.02.2021 के द्वारा अपराध संख्या 195/2020 विरूद्ध डॉ0 आर0 पी0 सिंह, पूर्व कुलपति, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर व अन्य के प्रकरण में आरोपी श्री रवि कुमार जोशी, कनिष्ठ सहायक को विश्वविद्यालय के आचरण एवं अनुशासन नियम B-Discipline II (SUSPENSION) शीर्षक के अन्तर्गत बिन्दु संख्या 3	**संस्थापन**

<table>
<tr><td></td><td>(c) के अनुसार माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार श्री रवि कुमार जोशी, कनिष्ठ सहायक को दिनांक 21.01.2021 से निलम्बित किया गया।

राज्य सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.2(157) कार्मिक/क-3/शिका/97 जयपुर दिनांक 22.03.2023 को प्रवृत्त मान्य करने एवं उक्त परिपत्र के क्रम में पुर्नविलोकन समिति का गठन उच्च शिक्षा शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार के स्तर से किया जाना है अथवा विश्वविद्यालय के स्तर से किया जाना है, इस हेतु मार्गदर्शन राज्य सरकार से लिये जाने हेतु प्रकरण प्रबंध बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।</td><td></td></tr>
<tr><td>निर्णय</td><td>निर्णय संख्या 11 के अनुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया ।</td><td></td></tr>
<tr><td>मद सं. 17</td><td>प्रबंध बोर्ड की 106वीं बैठक दिनांक 26.09.2023 के मद संख्या 12 के निर्णयानुसार वरिष्ठ तकनीकी सहायकों एवं कनिष्ठ तकनीकी सहायकों को पूर्व में दिये गये उच्चतर वेतनमान, वेतन उन्नयन एवं चयनित वेतनमान को निरस्त कर प्रथम नियुक्ति के वेतनमान में नियुक्ति तिथि से 09, 18 एवं 27 वर्ष पूर्ण करने पर ए0 सी0 पी0 का लाभ दे दिया जाये। उक्त पदों पर कार्यरत कार्मिकों को 09, 18 एवं 27 वर्ष पर दी जाने वाली ए0 सी0 पी0 के लाभ एवं स्थानीय निधि अंकेक्षण दल द्वारा लगाये गये आक्षेप में बताई गई वसूली की राशि का Due Drawn Statement तैयार करवाकर अन्तर की राशि का समायोजन किया जाये। (परिशिष्ट-34)

विश्वविद्यालय में कार्यरत वरिष्ठ तकनीकी सहायक एवं कनिष्ठ तकनीकी सहायक द्वारा प्राप्त वेतनमान तथा वेतनमान जो देय था, निम्नानुसार है:-

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>पदनाम</th><th>वर्तमान में प्राप्त वेतनमान</th><th>राज्य सरकार के अनुसार देय वेतनमान</th></tr>
<tr><td rowspan="3">1.</td><td rowspan="3">वरिष्ठ तकनीकी सहायक</td><td>कार्यालय आदेश क्रमांक 5768 दिनांक 03.10.2016 के द्वारा दिनांक 01.07.1998 से संशोधित वेतन श्रृंखला 6500-10500</td><td>नियुक्ति की दिनांक 01.05.1993 से वेतन श्रृंखला 5500-9000</td></tr>
<tr><td>कार्यालय आदेश क्रमांक 5768 दिनांक 03.10.2016 के द्वारा दिनांक 01.07.1998 से 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर सीनियर स्केल 7500-12000</td><td>आगामी वेतन श्रृंखला 6500-10500</td></tr>
<tr><td>कार्यालय आदेश क्रमांक 5768 दिनांक 03.10.2016 के द्वारा दिनांक 01.07.1998 से 08 वर्ष की सेवा अवधि सीनियर स्केल में</td><td>छठे वेतनमान में ग्रेड पे 4800/-</td></tr>
</table></td><td>संस्थापन</td></tr>
</table>

		पूर्ण करने पर संशोधित सलेक्शन स्केल 8000-13500 में ग्रेड पे 5400/-	
2.	कनिष्ठ तकनीकी सहायक	कार्यालय आदेश क्रमांक 5768 दिनांक 03.10.2016 के द्वारा दिनांक 01.07.1998 से संशोधित वेतन श्रृंखला 5500-9000	नियुक्ति की दिनांक 03.04.1993 एवं 10.04.1993 से वेतन श्रृंखला 4000-6000
		कार्यालय आदेश क्रमांक 5768 दिनांक 03.10.2016 के द्वारा दिनांक 01.07.1998 से 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर सीनियर स्केल 6500-10500	आगामी वेतन श्रृंखला 5500-9000
		कार्यालय आदेश क्रमांक 5768 दिनांक 03.10.2016 के द्वारा दिनांक 01.07.1998 से 08 वर्ष की सेवा अवधि सीनियर स्केल में पूर्ण करने पर संशोधित सलेक्शन स्केल 7500-12000 में ग्रेड पे 4800/-	छठे वेतनमान में ग्रेड पे ग्रेड पे 4200/-

स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में आक्षेप संख्या 04 म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर में वरिष्ठ/कनिष्ठ तकनीकी सहायक पद पर कार्यरत कार्मिकों को राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना उच्च वेतनमान स्वीकृत करने के फलस्वरूप वेतन भत्तों के पेटे हुए अधिक भुगतान की स्थिति निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	कार्मिक का नाम	पदनाम	अवधि	अधिक भुगतान राशि
1.	श्रीमती मन्जुलिका रॉबिन्सन	वरिष्ठ तकनीकी सहायक	7/98 से 6/18 तक	827919/-
2.	श्री भगवानदास चौहान	वरिष्ठ तकनीकी सहायक	7/98 से 6/18 तक	1172916/-
3.	श्रीमती माधुरी पाराशर	कनिष्ठ तकनीकी सहायक	7/98 से 6/18 तक	1383193/-
4.	श्री भँवर लाल चौधरी	कनिष्ठ तकनीकी सहायक	7/98 से 6/18 तक	1379809/-

राजस्थान सरकार उच्च शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग, जयपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 07.10.2020 में वर्णित बिन्दु संख्या 01 एवं 02 के अनुसार वेतनमान के संबंध में प्रबंध बोर्ड की 106वीं बैठक दिनांक 26.09.2023 के मद संख्या 12 के बिन्दु संख्या 05 पर अंकन किया गया था, किन्तु प्रबंध बोर्ड द्वारा पारित निर्णय अनुसार प्रथम नियुक्ति के वेतनमान में नियुक्ति तिथि से 09, 18 एवं 27 वर्ष पूर्ण करने पर ए0 सी0 पी0 का लाभ दे दिया जाये । इस निर्णय के क्रियान्वयन हेतु कार्यालय आदेश भारितार्थ लेखा एवं वित्त अनुभाग को भेजा गया जिसके संबंध में लेखा

	एवं वित्त अनुभाग की टिप्पणी अनुसार प्रबंध बोर्ड का निर्णय राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 07.10.2020 के अनुसार होना चाहिए था। अतः इसे पुनः प्रबंध बोर्ड के संज्ञान में लाया जाना चाहिए। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 07.10.2020 के बिन्दु संख्या 01 के अनुसार वरिष्ठ तकनीकी सहायक (पुस्तकालय):- (1) राज्य के विश्वविद्यालयों का Status विभागाध्यक्ष के समकक्ष माना गया है। जिसके कारण विश्वविद्यालय में स्वीकृत अशैक्षणिक पदों के वेतनमान राज्य सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों में स्वीकृत पदों के वेतनमान के अनुरूप/समकक्ष होने चाहिए, परन्तु विश्वविद्यालय में उक्त पद का वेतनमान इनके अनुरूप नहीं है। (2) विश्वविद्यालय में उक्त पद वर्ष 1992 से लगभग 28 वर्ष पूर्व स्वीकृत हुआ था। अतः वर्तमान में उक्त वेतनमान (ग्रेड पे 4800/- पे लेवल एल-12) में कार्यरत कार्मिक को सेवानिवृति अथवा उच्च पद पर पदोन्नति होने तक व्यक्तिगत वेतनमान के रूप में देय होंगे। (3) भविष्य में उक्त पद रिक्त होने पर नई नियुक्ति/भर्ती में जिस पद का वेतनमान ग्रेड पे 4200/- पे लेवल एल-11 किया जाना है। (2) कनिष्ठ तकनीकी सहायक (पुस्तकालय):- (1) राज्य के विश्वविद्यालयों का Status विभागाध्यक्ष के समकक्ष माना गया है। जिसके कारण विश्वविद्यालय में स्वीकृत अशैक्षणिक पदों के वेतनमान राज्य सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों में स्वीकृत पदों के वेतनमान के अनुरूप/समकक्ष होने चाहिए, परन्तु विश्वविद्यालय में उक्त पद का वेतनमान इनके अनुरूप नहीं है। (2) विश्वविद्यालय में उक्त पद वर्ष 1992 से लगभग 28 वर्ष पूर्व स्वीकृत हुआ था। अतः वर्तमान में उक्त वेतनमान (ग्रेड पे 4200/- पे लेवल एल-11) में कार्यरत कार्मिक को सेवानिवृति अथवा उच्च पद पर पदोन्नति होने तक व्यक्तिगत वेतनमान के रूप में देय होंगे। (3) भविष्य में उक्त पद रिक्त होने पर नई नियुक्ति/भर्ती में जिस पद का वेतनमान ग्रेड पे 3600/- पे लेवल एल-10 किया जाना है। लेखा एवं वित्त विभाग द्वारा प्रदत राय के क्रम में राजस्थान सरकार उच्च	

	शिक्षा, (ग्रुप-5) विभाग के परिपत्र प.1(5)उ.शि./ग्रुप-5/2018 जयपुर दिनांक 07.10.2020 के अनुसार वरिष्ठ तकनीकी सहायकों एवं कनिष्ठ तकनीकी सहायकों के वेतन नियतन किये जाने हेतु मद प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ, विचारार्थ एवं निणयार्थ प्रस्तुत है।	
निर्णय	**कनिष्ठ तकनीकी सहायक/वरिष्ठ तकनीकी सहायक (पुस्तकालय) को उनकी सेवा के 09, 18 एवं 27 वर्ष पूर्ण होने पर ए.सी.पी. का लाभ दिये जाने के संबंध में राज्य सरकार से राय/मार्गदर्शन प्राप्त किया जाये ।**	
मद सं. 18	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में सामान्य प्रशासन अनुभाग कुलसचिव के नियंत्रणाधीन कार्य कर रहा है, राजस्थान सरकार के कार्यालयों एवं कई विश्वविद्यालयों यथा-मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर में सामान्य प्रशासन अनुभाग लेखा प्रभारी के नियंत्रण में कार्य कर रहा है। सामान्य प्रशासन अनुभाग का मुख्य कार्य निर्धारित समय पर निविदायें जारी कर आवंटित बजट का नियमानुसार उपयोग करना है। विश्वविद्यालय अधिनियम 1987 की धारा 4 (f) के अनुसार Comptroller का कार्य 'To ensure that all expenditures are made with in the limits fixed by the authority competent to do show and for the purpose for which money is allotted or granted' महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर अधिनियम 1987 की धारा 4 की पालना सुनिश्चित करने हेतु सामान्य प्रशासन अनुभाग को वित्त नियंत्रक के अधीन कार्य करने हेतु मद प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	**संस्थापन**
निर्णय	**उक्त प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया ।**	
मद सं. 19	राजस्थान सरकार वित्त विभाग (रूल्स डिवीजन)द्वारा पारित आदेश क्रमांक F.15 (1)FD/Rules/2017 Pt.II जयपुर दिनांक 12.09.2024 जो कि Grant of National Annual Increment to Employees Retiring on 30th June-Regarding से संबंधित है, को विश्वविद्यालय में प्रवृत्त एवं मान्य किये जाने हेतु प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-35)**	**संस्थापन**
निर्णय	**राजस्थान सरकार वित्त विभाग (रूल्स डिवीजन) द्वारा जारी आदेश क्रमांक F.15 (1)FD/Rules/2017 Pt.II जयपुर दिनांक 12.09.2024 को विश्वविद्यालय में प्रवृत्त एवं मान्य किया गया ।**	

मद सं. 20	डॉ0 विनोद कुमार जैन, ए0 सी0 पी0 को मेमोरेण्डम क्रमांक एफ.1 ( )संस्था/ मदसविवि/2014/11481-82 दिनांक 01-05-2014 **(कार्यसूची का परिशिष्ट-36)** के साथ अनुशासन नियम IV (a) 14 (i) के तहत आरोप पत्र **(कार्यसूची का परिशिष्ट-37)** माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार जारी किया गया था तथा डॉ0 जैन को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु 07 दिवस में प्रतिवेदन देने हेतु समय दिया गया। इस क्रम में डॉ0 जैन द्वारा माननीय कुलपति महोदय को दिनांक 02-05-2014 **(कार्यसूची का परिशिष्ट-38)** को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था तथा माननीय कुलपति महोदय ने उन्हें अनुशासन नियम 1 (2) एवं 3 (2) के तहत नियमों की अवहेलना का दोषी पाये जाने के कारण विश्वविद्यालय आचरण एवं अनुशासन नियम 14 (i) (ii) के तहत असंचयी प्रभाव से एक वेतनवृद्धि रोके जाने के आदेश प्रदान किये, जोकि दिनांक 01-07-2014 से प्रभावी थे। इस हेतु कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1( )संस्था/मदसविवि/2014/16547 दिनांक 29-05-2014 **(कार्यसूची का परिशिष्ट-39)** जारी किया गया। कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1( )संस्था/ मदसविवि/2014/22737-64 दिनांक 04-07-2015 के द्वारा डॉ0 विनोद कुमार जैन की असंचयी प्रभाव से रोकी गई वेतनवृद्धि जारी कर दी गई। डॉ0 जैन द्वारा कार्यालय आदेश क्रमांक 16547 दिनांक 29-06-2014 के क्रम में प्रार्थना पत्र दिनांक 21-08-2014 को प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने उक्त आदेश को निरस्त करने हेतु माननीय कुलपति महोदय के समक्ष अपील प्रस्तुत की। विश्वविद्यालय आचरण एवं अनुशासन नियम Appeals and Review के नियम 19 (2) (An Employee may appeal against an order impose upon him any of the penalties specified in rule 11 to the Authority to which the authority which made the order is immediately subordinate. Appeal against the order passed by the Vice Chancellor shall lie to the Board) के तहत माननीय कुलपति महोदय द्वारा पारित आदेश की अपील प्रबंध बोर्ड में की जा सकती है। प्रबंध बोर्ड की 102वीं बैठक दिनांक 17.11.2022 के मद संख्या 07 के निर्णय के अनुसार ए.सी.पी. को सेवा नियमानुसार जारी शास्ति के विरूद्ध अपील करने की समय सीमा, उनके द्वारा की गई अपील, विलम्ब के कारणों, इनकी कार्य प्रणाली संतोषजनक होने के संबंध में प्रबंध बोर्ड में इनकी वेतन वृद्धि रोकने के प्रकरण को प्रबंध बोर्ड में रखा गया अथवा नहीं आदि के संबंध में छानबीन करने हेतु कुलसचिव, वित्त नियंत्रक एवं प्रो0 शिवदयाल सिंह (माननीय कुलपति महोदय द्वारा नामित सदस्य) समिति के गठन हेतु कार्यालय आदेश क्रमांक 89895 दिनांक	संस्थापन

16.12.2022 जारी किया गया। समिति की बैठक दिनांक 20.04.2023 को आयोजित की गई जिसका कार्यवृत्त दिनांक 15.05.2023 को संस्थापन अनुभाग में प्राप्त हुआ।

<u>समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट निम्नानुसार है:-</u>

1. डॉ0 विनोद कुमार जैन द्वारा कार्यालय आदेश क्रमांक 16548-54 दिनांक 29.05.2014 को निरस्त किये जाने हेतु अपील दिनांक 21.08.2014 को प्रस्तुत की गई। शास्ति के संबंध में अपील हेतु 60 दिवस का समय निर्धारित है। शास्ति हेतु जारी कार्यालय आदेश क्रमांक 16547 दिनांक 29.05.2014 से 60 दिवस का समय 28.07.2014 को पूर्ण होते हैं, किन्तु डॉ0 जैन द्वारा अपील दिनांक 21.08.2014 को प्रस्तुत की गई जो कि निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं की गई है। डॉ0 जैन द्वारा विलम्ब के कारणों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
2. डॉ0 विनोद कुमार जैन की व्यक्तिगत पत्रावली का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि पत्रावली में संलग्न वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रपत्र अपूर्ण होने के कारण इनकी कार्य प्रणाली संतोषजनक होने के संबंध में टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की जा सकती है।
3. महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर आचरण एवं अनुशासन नियम 13 Authorty Competent to impose a penalty निम्नानुसार है:-
    1. The appointing authority or any other authority which may be superior to the appointing authority may impose upon an employee any of the penalties specified in rule 11.
    2. The Vice Chancellor may delegate powers of imposing minor penalties to any officer other than the appointing authority, for employees working under him.
    3. In the case of borrowed employees, proposals for taking disciplinary action shall be forwarded to the lending authority for necessary action.

डॉ0 विनोद कुमार जैन से प्राप्त स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं होने के कारण माननीय कुलपति महोदय के आदेश की अनुपालना में डॉ0 जैन को दिनांक 01.07.2014 से देय वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी

	गई। प्रबंध बोर्ड में इनकी वेतन वृद्धि रोकने के प्रकरण को नहीं रखा गया। उक्त रिपोर्ट को प्रबंध बोर्ड की 105वीं बैठक दिनांक 11.07.2023 के मद संख्या 09 में समिति की बैठक दिनांक 20.04.2023 का कार्यवृत्त प्रबंध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया। प्रबंध बोर्ड के निर्णयानुसार समिति की उक्त रिपोर्ट पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया तथा निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण में पूर्व में गठित समिति के द्वारा डॉ0 विनोद कुमार जैन, ए0 सी0 पी0 का नियुक्ति प्राधिकारी (Appointing Authority) कौन है, के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाये तथा सम्पूर्ण प्रकरण पर विधिक राय लेकर समिति की रिपोर्ट एवं विधिक राय पुनः आगामी प्रबंध बोर्ड में प्रस्तुत की जाये। विश्वविद्यालय में कार्यरत विधिक सलाहकार द्वारा प्रबंध बोर्ड के निर्णय के क्रम में प्रस्तुत विधिक राय दिनांक 15.09.2023 (**कार्यसूची का परिशिष्ट-40**) को प्रस्तुत कर दी गई। विधिक राय निम्नानुसार हैः- डॉ0 विनोद कुमार जैन, ए0 सी0 पी0 का नियुक्ति प्राधिकारी M.D.S.U. Ajmer के Act 1987, Amended Act 2013 के Section 21 के अन्तर्गत बनाये गये नियम (Statue) के Schedule में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत बिन्दु संख्या 13 (h) (i) के अनुसार माननीय कुलपति महोदय को शिक्षक, कर्मचारी (employees) नियुक्त करने की शक्ति दी गई है और उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक (disciplinary action) लेने की शक्ति भी दी गई है। अतः उपरोक्त प्रावधान के अनुसार डॉ0 विनोद कुमार जैन, ए0 सी0 पी0 को नियुक्ति प्राधिकारी माननीय कुलपति महोदय हैं। डॉ0 विनोद कुमार जैन, ए0 सी0 पी0 के नियुक्ति प्राधिकारी माननीय कुलपति महोदय होने के कारण अनुशासनात्मक प्राधिकारी Disciplinary Authority भी conduct of service Rule की धारा 7 (13) के अन्तर्गत माननीय कुलपति महोदय है। डॉ0 विनोद कुमार जैन, ए0 सी0 पी0 को जो Penalty Sec 11 conduct and discipline rule के अन्तर्गत दी गई है वह नियम 11 (2) के अनुसार लघुशास्ति (Minor Penalty) है जिसको देने का अधिकार (impose) करने का अधिकार नियम 13 (1) के अन्तर्गत Appointing Authority को है। डॉ0 विनोद कुमार जैन, ए0 सी0 पी0 की Appointing Authority माननीय कुलपति महोदय है। अतः शास्ति नियमानुसार दी गई है। Conduct and discipline rule's के नियम 19 के अन्तर्गत अपील	

	की समय सीमा शास्ति आदेश पारित होने की दिनांक से 60 दिवस तक है। वर्तमान प्रकरण में अपील निर्धारित सीमा में प्रस्तुत नहीं होना बताया गया है, परन्तु नियम 19 (4) के Proviso में यह भी प्रावधान है की अपीलीय अधिकारी सीमा अवधि के बाद भी सन्तोषप्रद कारण होने पर अपील सुनवाई हेतु स्वीकार कर सकता है। अतः यह अपीलीय अधिकारी का विवेक होगा कि डॉ0 विनोद कुमार जैन, ए0 सी0 पी0 द्वारा दिया गया कारण सन्तोषप्रद है अथवा नहीं। अतः डॉ0 विनोद कुमार जैन, ए0 सी0 पी0 द्वारा अपील में दिये गये कारण को अगर अपीलीय प्राधिकारी प्रबंध बोर्ड सन्तोषजनक मानता है तो अपील सुनवाई हेतु स्वीकार की जा सकती है। प्रबन्ध बोर्ड की 105वीं बैठक दिनांक 11.07.2023 के मद संख्या 09 के निर्णय की अनुपालना में डॉ0 विनोद कुमार जैन, ए0 सी0 पी0 के सम्बन्ध में समस्त जानकारी एवं सम्पूर्ण प्रकरण पर विधिक सलाहकार द्वारा दी गई विधिक राय प्रबन्ध बोर्ड के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	
निर्णय	**उक्त प्रकरण में डॉ. विनोद कुमार जैन, ए.सी.पी. के द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर आगामी आवश्यक कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया ।**	
मद सं 21	प्रबंध बोर्ड की 103वीं बैठक दिनांक 14.02.2023 के मद संख्या 03 के निर्णय की अनुपालना में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक 4346-400 दिनांक 27.02.2023 के तहत वर्ष 2022-2023 तक उपलब्ध रिक्त पदों पर सहायक कर्मचारी से कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नत होने वाले कार्मिकों को प्रबंध बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त जारी होने की दिनांक 23.02.2023 से 06 माह के भीतर आयोजित होने वाली R.S.C.I.T. की परीक्षा उत्तीर्ण करने का सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना था, यदि 06 माह के भीतर R.S.C.I.T. की परीक्षा आयोजित नहीं होती है तो प्रबंध बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त जारी होने की दिनांक से आयोजित होने वाली प्रथम परीक्षा को उत्तीर्ण कर विश्वविद्यालय में R.S.C.I.T. का सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना था, यदि पदोन्नत कार्मिक उक्त परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाता है तो उन्हें पूर्व में कार्यरत पद पर पदावनत (Revert) कर दिया जायेगा। **(कार्यसूची का परिशिष्ट-41)** श्री जगरोपन राम को कार्यालय आदेश क्रमांक 3327-380 दिनांक 08.06.2023 के द्वारा R.S.C.I.T. पाठ्यक्रम में अग्रिम अध्ययन की स्वीकृति प्रदान की गई। कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1( )संस्था/	संस्थापन

	मदसविवि/2023/27604-623 दिनांक 01.08.2023 के द्वारा वर्ष 2023-2024 में रिक्त रहे कनिष्ठ सहायक के पद पर 07 कार्मिकों को कार्यालय आदेश क्रमांक 4346-400 दिनांक 27.02.2023 के द्वारा सशर्त पदोन्नत किया गया था। इसी क्रम में प्रबंध बोर्ड के निर्णयानुसार प्रबंध बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त जारी होने की दिनांक 23.02.2023 से 06 माह के भीतर आयोजित होने वाली प्रथम परीक्षा में R.S.C.I.T. उत्तीर्ण करनी थी। नियमानुसार R.S.C.I.T. की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ही पदोन्नति मान्य थी। अतः प्रबंध बोर्ड की बैठक दिनांक 14.02.2023 में लिये गये निर्णय अनुसार दिनांक 16.07.2023 को आयोजित R.S.C.I.T. की परीक्षा में श्री जगरोपन राम को परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की गई, जिसका परिणाम दिनांक 04.09.2023 को घोषित हुआ था जिसमें श्री जगरोपन राम अनुत्तीर्ण रहे। द्वितीय अवसर में दिनांक 15.10.2023 को आयोजित R.S.C.I.T. की परीक्षा में श्री जगरोपन राम उत्तीर्ण हुए हैं। **(कार्यसूची का परिशिष्ट-42)** विश्वविद्यालय विधि सलाहकार की राय अनुसार "विश्वविद्यालय में वर्ष 2022-2023 तक कनिष्ठ सहायक के उपलब्ध रिक्त पद पर पदोन्नति की जानी थी, परन्तु कोई भी सहायक कर्मचारी उपरोक्त योग्यताधारी नहीं होने के कारण प्रकरण प्रबंध बोर्ड की मीटिंग योग्यता में शिथिलता प्रदान करने हेतु रखा गया। प्रबंध बोर्ड की 103वीं बैठक में दिनांक 14.02.2023 को मद संख्या 03 पर निर्णय लिया गया कि पदोन्नत होने वाले कार्मिकों को उक्त बैठक का कार्यवृत्त जारी होने की तिथि से 06 माह के भीतर आयोजित होने वाली R.S.C.I.T. की परीक्षा उत्तीर्ण कर विश्वविद्यालय में R.S.C.I.T. की परीक्षा उत्तीर्ण करने का सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा, यदि 06 माह में R.S.C.I.T. की परीक्षा आयोजित नहीं होती है तो कार्यवृत्त जारी होने की तिथि से आयोजित होने वाली प्रथम परीक्षा को उत्तीर्ण कर विश्वविद्यालय में R.S.C.I.T. Certificate प्रस्तुत करना होगा, यदि पदोन्नत कार्मिक उक्त परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाता है तो उन्हें पूर्व में कार्यरत पद पर पदावनत कर दिया जावे। उपरोक्त निर्णय से स्पष्ट है कि कार्यालय आदेश दिनांक 01.08.2023 में वर्णित कार्मिकों को 23.02.2023 (कार्यवृत्त जारी होने की तिथि) से 06 माह अथवा 23.02.2023 के बाद 06 माह से पूर्व प्रथम आयोजित R.S.C.I.T. की परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। उपरोक्त वर्णित DOP नियम जो कि विश्वविद्यालय में प्रवृत्त एवं मान्य है उसके अनुसार R.S.C.I.T. परीक्षा पदोन्नति बाबत योग्यता में Pre condition है और इसी योग्यता में शिथिलता प्रदान की गई है। अतः	

	इसके अनुसार आदेश दिनांक 01.08.2023 के अन्तर्गत पदोन्नत कार्मिकों को दिनांक 22.08.2023 अथवा इसके पूर्व आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करनी अनिवार्य थी। पत्रावली में संधारित रिकार्ड के अनुसार कार्मिक श्री जगरोपन राम 06 माह से पूर्व आयोजित R.S.C.I.T. परीक्षा दिनांक 16.07.2023 में प्रविष्ट हुआ तथा उक्त परीक्षा में वह अनुत्तीर्ण रहा। अतः इस प्रकार कार्मिक श्री जगरोपन राम प्रबंध बोर्ड की 103वीं बैठक दिनांक 14.02.2023 में लिये गये निर्णयानुसार निर्धारित योग्यता निर्धारित समय में अर्जित करने में सफल नहीं हुआ, उसने R.S.C.I.T. की परीक्षा उक्त अवधि के बाद 09.12.2023 में अर्जित की है। अतः मेरी राय में कार्मिक विभाग के नियम जो कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रवृत्त व मान्य किये गये हैं एवं प्रबंध बोर्ड की 103वीं बैठक दिनांक 14.02.2023 के मद संख्या 03 पर लिये गये निर्णयानुसार तथा कार्मिक द्वारा R.S.C.I.T. परीक्षा जो दिनांक 16.07.2023 को दी गई उसके परीक्षा परिणाम के अनुसार कार्मिक श्री जगरोपन राम कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1( )संस्था/मदसविवि/2023/27604 दिनांक 01.08.2023 के अनुसार निर्धारित समयावधि में निर्धारित योग्यता अर्जित नहीं करने के कारण पदोन्नति के योग्य नहीं है।" अतः प्रकरण प्रबंध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	
निर्णय	**उक्त प्रकरण पर गहन विचार-विमर्श किया गया तथा निर्णय लिया गया कि श्री जगरोपन राम के द्वारा निर्धारित अवधि के पश्चात् आर.एस.सी.आई.टी. की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली गयी है । अतः श्री जगरोपन राम को सहायक कर्मचारी के पद से कनिष्ठ सहायक के पद पर दी गयी पदोन्नति को यथावत निरन्तर लागू रखा जाये ।**	
मद सं 22	कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ.7(4)डीओपी/ए-2/2023 दिनांक 05.07.2024 के अनुसार संलग्न अनुसूची यथोलिखित विभिन्न सेवा नियमों को और संशोधित करते हुए **"परन्तु यह भी कि यदि वर्ष 2024-25 के लिए कोई रिक्त पद, निम्नतर पद पर विहित अनुभव या सेवा के अनुभव या, यथास्थिति, दोनों के अभाव में पदोन्नति द्वारा नहीं भरा जा सकता हो तो उस रिक्त पद को भरने के लिए दो वर्ष तक का शिथिलीकरण निम्नतर पद के अनुभव या सेवा के अनुभव या, यथास्थिति, दोनों में दिया जायेगा। तथापि, जहां पदोन्नति के लिए विहित अनुभव दो वर्ष है वहां अनुभव या सेवा के अनुभव या, यथास्थिति, दोनों में दिया जायेगा। तथापि, जहां पदोन्नति के लिए विहित अनुभव दो वर्ष है वहां शिथिलीकरण केवल एक वर्ष के लिए**	संस्थापन

	दिया जायेगा। किसी को भी परिवीक्षाकाल के दौरान पदोन्नत नहीं किया जायेगा।'' उपरोक्त अधिसूचना को विश्वविद्यालय में प्रवृत्त एवं मान्य किये जाने हेतु प्रकरण प्रबंध बोर्ड के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है। **(कार्यसूची का परिशिष्ट-43)**	
निर्णय	**कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ.7(4)डीओपी/ए-2/2023 दिनांक 05.07.2024 को विश्वविद्यालय में प्रवृत्त एवं मान्य किया गया ।**	
मद सं 23	विश्वविद्यालय के शैक्षणिक अनुभाग-प्रथम में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा किये जाने वाले समयबद्ध एवं महत्वपूर्ण कार्य यथा-प्रबन्ध बोर्ड, विद्या परिषद्, अध्ययन बोर्ड/पाठ्यक्रम समिति इत्यादि की बैठकों के आयोजन संबंधी कार्य के लिए, एक वर्ष (अक्टूबर से सितम्बर माह) हेतु कुल दो माह का वेतन, छठे वेतनमान के अनुसार स्वीकृत पे-बैण्ड एवं ग्रेड-पे की 15 प्रतिशत राशि के बराबर मानदेय के रूप में माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार प्रतिवर्ष अथवा लंबित वर्षो का इकजाई रूप से भुगतान किया जाता रहा है । इसी प्रकार शैक्षणिक अनुभाग-द्वितीय के कार्मिकों को भी मानदेय का भुगतान किया जा रहा है । अनुभाग द्वारा अक्टूबर, 2020 से सितम्बर, 2022 तक कुल 02 वर्ष की अवधि के मानदेय की स्वीकृति हेतु पत्रावली प्रस्तुत करने पर माननीय कुलपति महोदय के द्वारा पूर्व परम्परा के आधार पर मानदेय स्वीकृत कर दिया गया एवं निर्देशित किया कि इस प्रकार के मानदेय दिये जाने संबंधी प्रस्ताव का, प्रबन्ध बोर्ड से अनुमोदन कराया जाना चाहिए । चूंकि वर्ष 1998 से शैक्षणिक अनुभाग प्रथम एवं द्वितीय के अधिकारियों/कर्मचारियों को पूर्व परम्परा के आधार पर ही मानदेय दिया जा रहा है । अतः मानदेय के प्रस्ताव का अनुमोदन प्रबन्ध बोर्ड से नहीं होने के कारण प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है । विश्वविद्यालय के परीक्षा स्नातकोत्तर/स्नातक, नामांकन, लेखा शाखा, पत्र प्राप्ति एवं प्रेषण, गोपनीय-प्रथम एवं द्वितीय, मिसलेनियस सैक्शन, ऑनलाईन कम्प्यूटर सेंटर इत्यादि अनुभागों के अधिकारियों/कार्मिकों को किये जा रहे समस्त तरह के अतिरिक्त कार्यभत्ता/मानदेय के भुगतान के आदेश ईकजाइ रूप से परीक्षा नियंत्रक के माध्यम प्रति वर्ष जारी किये जाते है परन्तु उक्त आदेश में शैक्षणिक-प्रथम अनुभाग एवं द्वितीय अनुभाग के कार्मिकों को दिये जा रहे मानदेय के भुगतान का उल्लेख नहीं है । इस कारण से शैक्षणिक-प्रथम एवं द्वितीय अनुभाग के कार्मिकों को	शैक्षणिक-I

	दिये जाने वाले अतिरिक्त मानदेय के भुगतान की पत्रावली पृथक से स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जाती है । अतः माननीय कुलपति महोदय के आदेशों की अनुपालना में प्रकरण प्रबंध बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर विश्वविद्यालय के अन्य अनुभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को किये जा रहे अतिरिक्त कार्यभत्ता/मानदेय भुगतान के संबंध में परीक्षा नियंत्रक के द्वारा प्रतिवर्ष जारी किये जाने वाले आदेश क्रमांक 79120-129 दिनांक 03.09.2022 **(कार्यसूची का परिशिष्ट-44)** के उप भाग VI (01 to 04) में उल्लेखित प्रावधानानुसार एवं पदानुसार दिये जाने वाला मानदेय, शैक्षणिक-प्रथम एवं द्वितीय के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा अन्य अनुभाग के कार्मिकों, जिनसे कार्य कराया जाता है, को शैक्षणिक अनुभाग के परिप्रेक्ष्य में पूर्व की भांति अक्टूबर से सितम्बर के आधार पर एक वर्ष मानते हुए वर्ष 2023 हेतु दिये जाने एवं आगामी वर्षो में भी इसी अनुरूप प्रतिवर्ष मानदेय दिये जाने का प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।	
निर्णय	**उक्त प्रकरण पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि शैक्षणिक-प्रथम एवं द्वितीय के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रतिवर्ष (अक्टूबर से सितम्बर) दिये जाने वाले मानदेय का भुगतान परीक्षा नियंत्रक द्वारा जारी कार्यालय आदेश क्रमांक 79120-129 दिनांक 03.09.2022 के उप भाग VI (01 to 04) में उल्लेखित प्रावधानानुसार एवं पदानुसार किया जाये तथा शैक्षणिक-प्रथम/द्वितीय अनुभाग का वर्ष 2023 के (अक्टूबर से सितम्बर) एवं आगामी वर्षो के मानदेय का भुगतान उक्तानुसार किया जाये ।**	
मद सं. 24	प्रबंध बोर्ड की 102वीं बैठक दिनांक 17.11.2022 के मद संख्या 15 के निर्णयानुसार **"उक्त प्रकरण पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि स्थिर वेतन पर कार्यरत किसी कार्मिक को नियमित रिक्त पद पर समायोजित किये जाने की तिथि से यदि किसी कार्मिक की पेंशन हेतु अर्हता बनती है तो उसे पेंशन का लाभ दिया जाये तथा शेष कर्मचारी जिनको पेंशन नहीं मिल पा रही है, उनके लिये सभी तथ्यों व इनकी विश्वविद्यालय में लम्बी सेवा अवधि (वर्ष 1995 से कार्यरत) आदि का उल्लेख करते हुए केवल पेंशन भुगतान की अनुमति/सहमति हेतु राज्य सरकार को पत्र प्रेषित किया जाये। इस संबंध में माननीय विधायकों के कुछ पत्र प्राप्त हुए हैं जिन्हें भी समर्थन हेतु राज्य सरकार को भेजा जाये"** जिसकी अनुपालना में संयुक्त सचिव उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर को पत्र क्रमांक एफ.1 ( )संस्था/मदसविवि/2023/448-56 दिनांक 06.01.2023 प्रेषित किया	**संस्थापन**

	गया। जिसके प्रत्युत्तर में टिप्पणी की गई कि प्रस्तुत प्रकरण वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 18.08.2020 के अनुरूप निर्धारित चैक लिस्ट में नियमों के संदर्भ से वित्तीय सलाहकार की टिप्पणी सहित पूर्ण तथ्यों के साथ प्रेषित नहीं किया गया है। तथ्यों से स्पष्ट नहीं है कि विश्वविद्यालय में ऐसे कितने कार्मिक हैं तथा इनकी सेवायें किन सेवा नियमों के अंतर्गत, किन शर्तों के तहत एवं किस सेवा संवर्ग में नियमित की गई थी। उक्त सूचनायें उपलब्ध कराये जाने का श्रम करावें ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही संभव हो सके। इस संबंध में विश्वविद्यालय में कार्यरत वित्त नियंत्रक से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ.6( )विवले/मदसविवि/2024/485 दिनांक 21.03.2024 में की गई टिप्पणी अनुसार न्यूनतम वेतन श्रृंखला के अंतर्गत वेतन, भत्ते विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड की बैठक दिनांक 06.12.1995 एवं 01.07.2005 के निर्णयानुसार स्वीकृत हैं। सम्बन्धित कार्मिकों को अस्थायी नियुक्ति दिनांक से अगर नियमित माना जाता है तो पेंशन देने की स्वीकृति देने पर राज्य सरकार विचार कर सकती है। संयुक्त सचिव उच्च शिक्षा को प्रेषित पत्र क्रमांक एफ.1( )संस्था/मदसविवि/2024/9006-09 दिनांक 06.04.2024 के द्वारा अस्थायी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के संबंध में चाही गई सूचना, दस्तावेज एवं वित्त नियंत्रक की टिप्पणी पूर्ण तथ्यों के साथ संलग्न कर प्रेषित की गई जिसका प्रत्युत्तर प्राप्त होना शेष है। अध्यक्ष, सहायक कर्मचारी संघ, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर से प्राप्त पत्र क्रमांक 75 दिनांक 29.07.2024 के बिन्दु संख्या 01 में वर्णित मांग वर्ष 1995 से कार्यरत सहायक कर्मचारियों की सेवायें जोड़ते हुए पेंशन परिलाभ दिलवाने के संबंध में संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर को वित्त नियंत्रक की राय अनुसार राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त किये जाने हेतु प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।	
निर्णय	**उक्त प्रकरण में प्रबन्ध बोर्ड की 102वीं बैठक दिनांक 17.11.2022 के निर्णयानुसार राज्य सरकार को पत्र क्रमांक एफ. ( ) संस्था/मदसविवि/2023/448-56 दिनांक 06.01.2023 प्रेषित किया गया परन्तु काफी समय व्यतीत जाने के उपरान्त भी प्रकरण में राज्य सरकार से अभी तक कोई सहमति/स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई । अतः प्रकरण में प्रतिष्ठित विधि विशेषज्ञों की समिति से राय ली जाकर तदनुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया ।**	

मद सं. 25	1. विश्वविद्यालय की स्थापना के समय एवं तद्पश्चात समय समय पर राज्य सरकार द्वारा सहायक (Assistant) पद नाम से स्वीकृति प्राप्त हुई। 2. राज्य सरकार द्वारा नवीन वेतनमान नियम 1998 प्रभावी दिनांक 01.09.1998 शिड्यूल 04 नियम 13 के बिन्दु संख्या 14 के नोटिफिकेशन नम्बर एफ 16 एफ.डी. (रूल्स)/98 (आरपीएस 98-9/98) दिनांक 19.09.1998 को, जो कि दिनांक 01.09.1998 से प्रभावी माने गये है, मे सहायक पद का वेतनमान 5500-175-9000 की वेतन श्रृंखला स्वीकृत की गयी परन्तु विश्वविद्यालय में कार्यरत सहायकों का वेतनमान 5000-150-8000 दिया गया। 3. विश्वविद्यालय में तत्समय कार्यरत सहायकों द्वारा उक्त वेतनमान को संशोधित करने के क्रम में ज्ञापन प्राप्त हुए। प्राप्त ज्ञापन एवं राज्य सरकार द्वारा संशोधित वेतनमान के संदर्भ में विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार से सतत पत्राचार किया गया। राज्य सरकार से लम्बे समय तक इस संबंध में कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई। इस स्थिति के दृष्टिगत कार्यरत सहायक/अनुभागाधिकारियों के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 13198/2013 श्री बुद्धि प्रकाश अग्रवाल बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर किया गया। 4. राज्य सरकार से किये गये सतत् पत्राचार के क्रम में दिनांक 10.10.2014 से सहायक पद का वेतनमान 5000-150-8000 के स्थान पर 5500-175-9000, ग्रेड-पे 3600 के स्थान पर 4200 संशोधित कर स्वीकृति जारी की गयी, जिसे विश्वविद्यालय में तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त एवं मान्य किया गया एवं तद्नुसार कार्यालय आदेश क्रमांक 3461-91 दिनांक 23.01.2015 को जारी किया गया एवं इसकी प्रति राज्य सरकार को भी प्रेषित की गयी। 5. इस दौरान कर्मचारियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर वाद पर माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा निर्णय दिनांक 27.08.2014 को पारित किया गया कि कार्यरत सहायको को दिनांक 01.04.1999 से वेतन श्रृंखला 5500-175-9000 का लाभ प्रदान किये जाने हेतु विश्वविद्यालय राज्य सरकार से सम्पर्क कर तीन माह में निर्णय लागू करें। 6. कर्मचारियों द्वारा न्यायालय द्वारा प्रदान की गयी समय सीमा अवधि समाप्त होने के पश्चात् अधिवक्ता द्वारा अवमानना नोटिस विश्वविद्यालय को दिया गया। अवमानना नोटिस पर विधिक राय लेते हुए न्यायालय के निर्णय को प्रबन्ध बोर्ड के निर्णय के अध्यधीन	संस्थापन

	माननीय कुलपति महोदय द्वारा स्वीकार किया गया एवं कार्यालय आदेश क्रमांक 11150 दिनांक 17.03.2015 जारी किया गया जिसकी प्रति राज्य सरकार को भी प्रेषित की गयी। उक्त आदेश को प्रबन्ध बोर्ड की 86वीं बैठक दिनांक 09 जून, 2015 को प्रतिवेदित किया गया एवं बोर्ड द्वारा उक्त कार्यवाही की पुष्टि की गयी। इस आधार पर संबंधित कार्मिकों का दिनांक 01.04.1999 से 5500-175-9000 के अंतर्गत पांचवें एवं छठे वेतनमान में वेतन नियतन संशोधित किये गये। 7. विश्वविद्यालय में सहायक पद की वेतन श्रृंखला दिनांक 01.04.1999 से 5500-175-9000 प्रवृत्त मान्य की गयी एवं तद्नुसार विश्वविद्यालय में कार्यरत कनिष्ठ लिपिकों एवं वरिष्ठ लिपिकों के द्वारा मांग की गयी कि वेतन श्रृंखला पूर्ववर्ती दिनांक से परिवर्तित होने के कारण छठे वेतनमान में दिये गये विकल्प-पत्र को परिवर्तित करने की अनुमति प्रदान की जावे। यह मांग प्रबन्ध बोर्ड की 90वीं बैठक दिनांक 29.08.2016 के मद संख्या 07 पर प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत की गयी। इस पर प्रबन्ध बोर्ड द्वारा संबंधित कार्मिकों के लिए विकल्प-पत्र संशोधित करने की अनुमति प्रदान की गयी। तत्पश्चात् वरिष्ठ लिपिकों एवं कनिष्ठ लिपिकों को पांचवें वेतनमान के तहत नियमानुसार सहायक पद का चयनित वेतनमान 18 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर दिया गया एवं तद्नुसार वेतन नियतन किया गया एवं विकल्प परिवर्तित कर छठें वेतनमान का नियमानुसार वेतन नियतन किया गया। कार्मिक द्वारा 18 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर पांचवें वेतनमान में चयनित वेतनमान में पदोन्नति पद की वेतन श्रृंखला प्रभावी होने के कारण आगामी पद सहायक अनुभागाधिकारी के पद की वेतन श्रृंखला 5500-175-9000 देकर चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान कर वेतन नियतिकरण किया गया जो कि राज्य सरकार के पांचवें वेतनमान के समकक्ष ही है। 8. स्थानीय निधि अंकेक्षण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के साथ प्रत्येक कार्मिक को अधिक दिये गये वेतन की वसूली हेतु पृथक-पृथक चार्ट संलग्न किया है जिसके अनुसार अनुभागाधिकारियों, सहायक अनुभागाधिकारियों, वरिष्ठ लिपिकों एवं कनिष्ठ लिपिकों को दिनांक 10.10.2014 से 5500-175-9000/ग्रेड-पे 4200 का लाभ मान्य करते हुए रिकवरी राशि की गणना की गयी। 9. विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा राज्य सरकार से किये गये पत्राचार के क्रम में राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.14(20) शिक्षा-4/2007	

जयपुर दिनांक 31.03.2022 को अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त हो गयी जिसमें राज्य सरकार द्वारा सहायक पद के वेतनमान को संशोधित करते हुए दिनांक 01.04.1999 से Existing Employees (Assistant):-

1. The concurrence of FD is given for the existing employee of Maharshi Dayanad Saraswati University, Ajmer to allow them pay scale of the post of Assistant of 5500-175-9000 w.e.f. 01-04-1999, GP 3600 w.e.f. 01-09-2006 and GP 4200 w.e.f. 01-07-2013 to get the audit objection regularized. This over payment/ irregular payment made without obtaining prior approval of FD shall be borne by the University from its own sources and no grant of this account shall be made by the State Govt. As soon as the existing employees retire or posts falls vacant the pay scale of this post for new promotees/recruitees will be in Pay Level-10 by redesingating the post as Assistant Administrative Officer in place of Assistant (present designation is Assistant Section Officer).
2. In future prior approval of the State Government must be obtained to ensure compliance of the RAPSAR Act in the University के लिए लागू करने की स्वीकृति प्रदान कर अंकेक्षण दल द्वारा लगाये गये आक्षेप को रेगुलराईज कर दिया गया। संयुक्त सचिव उच्च शिक्षा, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 27.03.2024 के द्वारा सूचित किया है कि विभाग के पत्र दिनांक 31.03.2022 में वर्णित वित्त विभाग की टिप्पणी व Existing Employee का आशय अपने आप में सुपष्ट है। कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1( )संस्था/मदसविवि/ 2022/ 16047-57 दिनांक 04.06.2022 के क्रम में स्थानीय निधि अंकेक्षण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आक्षेप संख्या 01 में वर्णित 39 अनुभागाधिकारी एवं सहायक अनुभागाधिकारी के वेतन नियतन किये गये। स्थानीय निधि अंकेक्षण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आक्षेप संख्या 02 में वर्णित 69 वरिष्ठ

	लिपिकों/कनिष्ठ लिपिकों को 18 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर पांचवें वेतनमान में चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान करने पर सहायक पद की वेतन श्रृंखला 5500-9000 देय बनती है, का लाभ प्रदान नहीं किया गया तथा इस संबंध में प्रबंध बोर्ड के निर्णयानुसार राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु पत्राचार किया गया **जिसके प्रत्युत्तर में संयुक्त सचिव उच्च शिक्षा से पत्र क्रमांक प.14(20)शिक्षा-4/2007-00005 पार्ट-1 दिनांक 27.03.2024 प्राप्त हुआ जिसमें अंकन किया गया कि प्रकरण में विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक से परीक्षण करवाकर वित्त विभाग की राय/टिप्पणी अनुसार ही आवश्यक कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करें। वित्त नियंत्रक महोदया द्वारा दी गई राय अनुसार प्रकरण प्रबंध बोर्ड के समक्ष पुनः समीक्षा हेतु विचारार्थ रखा जाना है।** राजस्थान सरकार के पत्र दिनांक 27.03.2024 के अनुसार 69 वरिष्ठ/कनिष्ठ लिपिकों को सहायक के पद का वेतनमान वित्त नियंत्रक की लेखा राय लेकर राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त किया जाना उचित होगा ताकि विश्वविद्यालय में सहायक के पद के 02 वेतनमान 5000-8000 एवं 5500-9000 हो जाने से वेतन विसंगति के कारण न्यायिक प्रकरण दर्ज होने की स्थिति उत्पन्न ना हो इसीलिए समस्त तथ्यों के साथ राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने हेतु प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।	
निर्णय	**उक्त प्रकरण में प्रतिष्ठित विधि विशेषज्ञों की समिति से राय ली जाकर तद्नुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया ।**	
मद सं. 26	माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 04.08.2024 की अनुपालना में 44वीं वित्त समिति की दिनांक 24.07.2024 को सम्पन्न हुई बैठक की कार्यसूची एवं कार्यवृत्त प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है । (कार्यसूची का परिशिष्ट-45)	**वित्त एवं लेखा /संस्थापन**
निर्णय	**वित्त समिति की 44वीं बैठक दिनांक 24.07.2024 के कार्यवृत्त पर विचार-विमर्श कर निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः-** **1. कार्यवृत्त की मद संख्या 02 पर निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के समस्त विभागों में अध्यापन हेतु आने वाले समस्त अतिथि शिक्षकों को राशि रूपये 800/- Per Lecture एवं अधिकतम 45,000/- प्रतिमाह के अनुसार भुगतान किया जाये ।**	

	2. 44वीं वित्त समिति के शेष कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी ।	
मद सं. 27	विश्वविद्यालय में न्यू पेंशन स्कीम (NPS) से पुरानी पेंशन (OPS) के संदर्भ में 01 जनवरी, 2004 के बाद नियुक्त कार्मिकों से नियोक्ता अंशदान की कुल जमा राशि का 15 प्रतिशत प्राप्त कर राज्य सरकार के पत्र क्रमांक 8 (4) विभा./2023 जयपुर दिनांक 14.03.2024 द्वारा पी.डी.खाता खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसके तहत नियोक्ता अंशदान की कुल जमा की 15 प्रतिशत राशि पी.डी. खाता संख्या 19552 में जमा करा दी गई है लेकिन एनपीएस में कवर कुछ ऐसे कार्मिक जिनके PRAN No. नहीं होने के कारण उनके वेतन से NPS मद में जमा राशि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित NPS खाते में ही जमा है । ऐसे कार्मिकों का विवरण निम्नानुसार है:- 1. ऐसे कुल 12 कार्मिक (10 न्यायालय आदेशानुसार +02 अनुकम्पा नियुक्ति) जिनका PRAN No. नहीं होने के कारण इन कार्मिकों के वेतन से NPS मद में काटी गयी राशि नियोक्ता अंशदान सहित विश्वविद्यालय संचालित NPS खाते में जमा है । इन कार्मिकों की 15 प्रतिशत नियोक्ता अंशदान राशि अन्य कार्मिकों की भांति उक्त संबंधित कार्मिकों से प्राप्त करके अथवा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित NPS खाते में उक्त कार्मिकों द्वारा जमा राशि में से पी.डी. खाता संख्या 19552 में जमा करवाया जाना ? 2. ऐसे दो कार्मिक (श्री मुन्ना लाल सेन, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं श्री जगमोहन शर्मा, च.श्रे.क.) जो विश्वविद्यालय सेवा से सेवानिवृत हो गये है । इनका विश्वविद्यालय में सेवाकाल पेंशन योग्य नहीं होने के कारण पेंशन स्वीकृत नहीं की गई है । इन दोनो सेवानिवृत कार्मिकों की NPS मद में इनके वेतन से प्रतिमाह काटी गई स्वयं की अंशदान राशि जो विश्वविद्यालय के NPS खाते में PRAN No. नहीं होने के कारण जमा है । अतः उक्त राशि दोनों सेवानिवृत्त कार्मिकों को लौटाया जाना प्रस्तावित है । 3. एक अन्य कार्मिक (स्व. श्री योगेश कुमार मीमरोट, क.सहा.) जिसकी सेवा में रहते मृत्यु हो गई, नियोक्ता अंशदान की 15 प्रतिशत राशि पी.डी. खाते में कराई जा चुकी है, तथा मार्च 2022 के पश्चात् की राशि विश्वविद्यालय के NPS खाते में जमा है । स्व. श्री मीमरोट की विश्वविद्यालय में कुल सेवा अवधि 05 वर्ष से कम प्रमाणित की गई है । अतः 15 प्रतिशत अंशदान पी.डी. खाते में जमा राशि राज्य सरकार की स्वीकृति पश्चात्	**वित्त एवं लेखा**

	पी.डी. खाते से आहरित कर एवं मार्च 2022 के बाद की जमा राशि विश्वविद्यालय के NPS खाते से आहरित कर परिजन को लौटाया जाना प्रस्तावित है । 4. विश्वविद्यालय के एक कार्मिक श्री मदन सिंह, सु.प्र. द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम ऑप्ट की गई, परन्तु 15 प्रतिशत अंशदान राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अवधि दिनांक 10.09.2023 के बाद भी आज दिनांक तक जमा नहीं कराई गई है । अतः उक्त के संबंध में निर्देश प्रदान करना । अतः उपरोक्त 04 प्रकरण के संबंध में उचित कार्यवाही/आदेश हेतु प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।	
निर्णय	**उक्त मद पर विचार विमर्श कर बिन्दु संख्या 01, 02 एवं 03 के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया तथा बिन्दु संख्या 04 पर निर्णय लिया गया कि संबंधित कार्मिक के द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम हेतु एन.पी.एस. में जमा कुल पेंशन अंशदान (विश्वविद्यालय अंशदान) राशि की 15 प्रतिशत राशि अतिशीघ्र जमा करायी जाये ।**	
मद सं. 28	डीन समिति के आदेश दिनांक 28.06.2019 की पालना में महाविद्यालय पर रूपये 20,000/- का आर्थिक दण्ड लगाते हुए छात्र हित के दृष्टिगत परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात् महाविद्यालय द्वारा प्रेषित प्राप्तांकों को मान्य करते हुए छात्रों के परीक्षा परिणाम संशोधित किये गये । यह व्यवस्था परीक्षा वर्ष 2018 में अपनाई गई इस विशेष प्रक्रिया को महाविद्यालयों द्वारा अधिकार मान लिया गया जिससे छात्रों को अनावश्यक मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है । अतः माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 13.06.2024 एवं विश्वविद्यालय सलाह समिति की संस्तृति दिनांक 12.07.2024 के अनुसार समस्त शिक्षा संकाय से संबंधित सभी महाविद्यालयों को अवगत कराने हेतु कि विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा परिणाम जारी होने से पूर्व ही निर्धारित तिथि तक आन्तरिक/बाहरी मूल्यांकन/इंटरशिप/प्रायोगिक आदि परीक्षा के प्राप्तांक प्रेषित करने तथा यदि निर्धारित तिथि तक महाविद्यालयों द्वारा प्राप्तांक नहीं भेजे गये तो 05 दिवस का अतिरिक्त समय देने व वर्ष 2018 में अपनाई गई उक्त (रूपये 20,000/- का आर्थिक दण्ड) विशेष प्रक्रिया को बंद किये जाने हेतु प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ रखे जाने हेतु मद प्रस्तुत है ।	**परीक्षा नियंत्रक**

निर्णय	**उक्त प्रकरण पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि शिक्षा संकाय से संबंधित यदि कोई महाविद्यालय परीक्षा परिणाम घोषित करने की तिथि तक विद्यार्थियों के आन्तरिक/इंटर्न्शिप/प्रायोगिक परीक्षा आदि के प्राप्तांक विश्वविद्यालय को प्रेषित नहीं करता है तो परीक्षा परिणाम जारी करने हेतु संबंधित महाविद्यालय से राशि रूपये 50,000/- विलम्ब शुल्क के रूप में प्राप्त कर, प्राप्त आन्तरिक/ इंटर्न्शिप /प्रायोगिक परीक्षा आदि के प्राप्तांकों के अनुसार आगामी कार्यवाही की जाये ।**	
मद सं. 29	गुरूकुल बी.एड़. कॉलेज, गोठन, नागौर ने सत्र 2023-24 से महाविद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाये जाने हेतु आवेदन किया है । वर्तमान में गुरूकुल बी.एड़. कॉलेज, गोठन, नागौर में 200 छात्र/छात्राएं पंजीकृत है । महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर की अधिसूचना 31366 दिनांक 09.03.2022 की बिन्दु संख्या 2 के अनुसार परीक्षा केन्द्र बनाए जाने हेतु "At least 300 students should be enrolled in the college" प्रावधान है । बी.एड़. कॉलेज/महाविद्यालयों हेतु अधिकतम 100 सीटें निर्धारित होती है । दोनों सत्र की कुल छात्र/छात्राओं कीसंख्या 200 होती है । परीक्षा सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 12.07.2024 की संस्तुति दिनांक 12.07.2024 के अनुसार बी.एड़. कॉलेज/महाविद्यालयों को अधिसूचना 31366 दिनांक 09.03.2022 की बिन्दु संख्या 02 के अनुसार परीक्षा केन्द्र बनाएं जाने हेतु "At least 300 students should be enrolled in the college" में शिथिलता प्रदान करते हुए 300 छात्र/छात्राओं के स्थान पर 200 छात्र/छात्राओं का प्रावधान किये जाने हेतु मद प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।	**परीक्षा नियंत्रक**
निर्णय	**उक्त प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया ।**	
मद सं. 30	राजस्थान सरकार के वित्त विभाग (रूल्स) डिवीजन के पत्रांक F 12 (3) FD Rules/2024 जयपुर दिनांक 11.09.2024 एवं 20.09.2024 से जारी अधिसूचना से राजस्थान सिविल सर्विस (पेंशन) नियम, 1996 में संशोधन किये जाने हेतु प्रवृत्त राजस्थान सिविल सर्विस (पेंशन) संशोधन नियम 2024 के तहत राजस्थान सिविल सर्विस (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 54B, 55, 62, 67 में किये गये संशोधन एवं विधमान नियम, 87 के पूर्व समाविष्ट किये गये नये नियम उप नियम (8) के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय पेंशन नियमों के तत्संबंधी नियमों/प्रावधानों में यथास्थान संशोधन/समाविष्ट कर विश्वविद्यालय में दिनांक 01.04.2024 से प्रवृत्त करने पर विचार करना । **(कार्यसूची का परिशिष्ट- 46 एवं 47)**	**वित्त एवं लेखा**

	नियम-55 In first proviso to sub-rule(1) of the Rajasthan Civil Services (Pension) Rules,1996, hereinafter referred to as the said rules, for the existing expressions "20.00 lac rupees," the expression"25.00 lac rupees", shall be substituted. **नियम-62** In rule 62 of the said rules the existing clause (a) of sub-rule(iii) shall be substituted by the following, namely "(a) In the event of death of a Government Servant while in service, the family pension shall be payable to the family in following manner:- (A) In the case where death is occurred before 01/04/2024, the family pension shall be payable to the family for a period of seven years following the date of death or till the date on which the deceased Government servant would have attained the age of 67 years had he survived, whichever period is shorter; and (B) In the case where death is occurred on or after Ist April 2024 , the family pension shall be payable to the family for a period of ten years following the date of death of the Government servent. **नियम-54 B-** (Substitution of rule 54B)- The existing rule of 54 B of the Rajasthan Civil Services (Pension) Rules 1996, hereinafter referred to as the said rules, shall be substituted by the following, namely:- "54 B. Additional Allowance to pensioners/family pensioners- Allowance @ 5% of the basic pension/ family pension on attaining the age of 70 years and @10% of the basic pension/family pension on attaining the age of 75years to the pensioners/family pensioners, as the case may be, shall be given. This allowance shall be given to pensioners/family pensioners upto the age of 80 years and no dearness relief shall be payable on such allowance." **नियम-67**– Amendment of rule 67- In rule 67 of the said rules,- (i) For the existing expression "disabled", wherever occurring, the expression "specially abled" shall be substituted; (ii) After the existing clause (e) and before the existing proviso, the following new clause (f) shall be inserted, namely:- "(f) Specially abled siblings only in case where a deceased Government servant or pensioner is not survived by a widow or widower or a child or parents eligible for family pension :" and (iii) After the existing proviso and before the existing explanation, the following new proviso shall be	

	inserted, namely:- "Provided further that the family pension to specially abled sibling shall be payable if the disability existed before the death of the Government servant or pensioner. The other conditions as applicable for the son/daughter of Government servant/pensioner who is suffering from any disorder or disability of mind or is physically crippled or specially abled or blind or deaf and dumb shall be the same as provided in these rules." नियम-87:- Amendment of rule 87 – In rule 87 of the said rules, after the existing sub rule(7), the following new sub-rule (8) shall be added, namely:- "(8) The Pension sanctioning authority shall indicate in the pension payment order the name of the Government servant`s spouse, if alive, as family pensioner and shall also indicate in the pension payment order, the names of the permanently specially abled child or children, dependent parents and specially abled siblings as family pensioners, if there is no other member of family to whom family pension may become payable."	
निर्णय	**राजस्थान सरकार के वित्त विभाग (रूल्स) डिवीजन के पत्रांक F 12 (3) FD Rules/2024 जयपुर दिनांक 11.09.2024 एवं 20.09.2024 से जारी अधिसूचना को विश्वविद्यालय में प्रवृत्त एवं मान्य किया गया तथा राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक F 12 (4) FD/Rules/2024 जयपुर दिनांक 01.04.2025 के अनुसार अधिसूचना क्रमांक F 12 (3) FD Rules/2024 जयपुर दिनांक 11.09.2024 को विश्वविद्यालय में दिनांक 01.01.2024 से प्रभावी मान्य किये जाने का निर्णय लिया गया ।**	
मद सं. 31	वित्त समिति की 45वीं बैठक दिनांक 11.02.2025 का कार्यवृत्त प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है । उल्लेखनीय है कि उक्त वित्त समिति के मद संख्या 02 के अंतर्गत Revised Estimate 2024-25 का अनुमोदन माननीय कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 19 (18) में किया गया जिसके आदेश क्रमांक 5765-804 दिनांक 27.02.2025 बोर्ड के समक्ष प्रतिवेदनार्थ प्रस्तुत है ।	वित्त एवं लेखा
निर्णय	**वित्त समिति की 45वीं बैठक दिनांक 11.02.2025 के कार्यवृत्त पर विचार-विमर्श कर निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-** **1. कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या 02 के संबंध में माननीय कुलपति महोदय के द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 19 (18) में**	

	प्रदत्त लेखानुदान पास करने हेतु दिये गये आदेश के क्रम में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक 10885 दिनांक 28.03.2025 की पुष्टि की गयी । 2. कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या 04 के संबंध में माननीय कुलपति महोदय के द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 19 (18) में प्रदत्त के आदेश के क्रम में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 6 ( )विवले/मदसविवि/2025/137 दिनांक 07.05.2025 की पुष्टि की गयी । 3. वित्त समिति की 45वीं बैठक दिनांक 11.02.2025 के शेष कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी ।	
मद सं. 32	विश्वविद्यालय की सभी प्रकार की परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं के बण्डलों को वाहन में चढाने व वाहन से उतारने का श्रम विश्वविद्यालय कर्मचारियों द्वारा सम्पादित किया जाता है । इस कार्य हेतु जाने वाले विश्वविद्यालय कर्मचारी एवं सहायक कर्मचारी प्रत्येक को 08 रूपये प्रति बण्डल (मंत्रालयिक एवं सहायक कर्मचारी को संयुक्त रूप से) पारिश्रमिक परीक्षा संबंधी उत्तरपुस्तिकाओं के बण्डल उतारने व चढाने (Loading व unloading) से संबंधित कार्य के लिये विश्वविद्यालय द्वारा पत्र क्रमांक एफ 1 ( ) संस्था/मदसविवि/2010/5804-08 दिनांक 20.02.2010 एवं एफ 1 ( ) संस्था/मदसविवि/2010/8265-73 दिनांक 26.03.2010 **(कार्यसूची का परिशिष्ट-48 एवं 49)** के द्वारा भुगतान किया जाता रहा है । चूंकि यह पूर्णतया परिश्रम संबंधी कार्य है तथा किसी भी प्रकार के मानदेय यथा Overtime/Job की श्रेणी में नहीं आता है । प्रबन्ध मण्डल की 105वीं बैठक दिनांक 11.07.2023 की मद संख्या 17 में लिये गये निर्णय अनुसार एक वित्तीय वर्ष में कार्मिको/अधिकारियों को मानदेय/पारिश्रमिक/ओवरटाईम के भुगतान की अधिकतम सीमा 1,00,000/- (राशि रूपये 1.00 लाख मात्र) की गई है । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-50)** चूंकि वर्तमान में विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति के तहत स्नातक स्तर पर भी सैमेस्टर परीक्षाओं का आयोजन होना प्रारम्भ हो गया है जिसमें परीक्षाएं वर्ष में दो बार आयोजित हो रही है जिसके अंतर्गत परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं के बण्डल वर्ष में दो बार महाविद्यालयों/समन्वयकों से लाये व ले जाये जाते है । अतः इस संबंध में गोपनीय अनुभाग में परीक्षा संबंधी (Loading व unloading) कार्य हेतु दी जाने वाली राशि को ओवरटाईम की निर्धारित सीमा राशि रूपये 1.00 लाख में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए । पूर्व	परीक्षा नियंत्रक

	में भी यह राशि ओवरटाईम की सीमा में सम्मिलित नहीं की जाती रही है । अतः प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।	
निर्णय	**उक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।**	
मद सं. 33	प्रबन्ध बोर्ड की 106वीं बैठक दिनांक 26.09.2023 के मद संख्या 06 के निर्णय की पालना में एकल पद (Isolated Post) पर कार्यरत कर्मचारियों के क्रमोन्नत पदों का पदनाम निर्धारण करने एवं राज्य सरकार के परिपत्र अनुसार पदोन्नति की शर्तों के निर्धारण/अनुशंसा करने हेतु माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 06.01.2024 की पालना में निम्नानुसार समिति गठित की गईः- 1. प्रो. आशीष भटनागर, संयोजक 2. प्रो. सुब्रतो दत्ता, सदस्य 3. श्री हेमन्त गुप्ता, सदस्य 4. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी-संस्थापन, सदस्य-सचिव गठित समिति की बैठक दिनांक 18.07.2024 एवं 10.09.2024 को आयोजित की गई । समिति द्वारा बैठक में की गई अनुशंसाएं प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-51)**	**संस्थापन**
निर्णय	**समिति की अनुशंसाओं को स्वीकार किया गया ।**	
मद सं. 34	**<u>उक्त के अतिरिक्त निम्न निर्णय भी लिये गयेः-</u>** **1. माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 07.03.2025 की अनुपालना में श्री कश्मीर सिंह, सेवानिवृत लेखाधिकारी को समेकित पारिश्रमिक राशि रूपये 30,000/- प्रतिमाह पर 06 अथवा अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो पर लेखा सलाहकार के रूप में कार्य करने हेतु जारी कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 1 ( ) संस्था/मदसविवि/2025/7815-23 दिनांक 07.03.2025 की पुष्टि की गयी ।**	संस्थापन
	2. विश्वविद्यालय द्वारा जारी शुद्धि पत्र क्रमांक F 14 ( ) BOM/Acad-II/2017/19804 Dated 17-08-2017 के अनुसार महाविद्यालय में संचालित अस्थाई सम्बद्धता प्राप्त अतिरिक्त विषय हेतु स्थाई सम्बद्धता के लिए सम्बद्धता शुल्क के चार गुणा शुल्क	शैक्षणिक-II

	के बराबर शुल्क निर्धारित किया गया । महाविद्यालय में पूर्व में संचालित स्थाई पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त अन्य अस्थाई सम्बद्धता प्राप्त पाठ्यक्रम की स्थाई सम्बद्धता हेतु सम्बद्धता शुल्क निर्धारित नहीं है । विधि परामर्शदाता की राय के अनुसार व राजकीय महाविद्यालय, टौंक की पत्रावली पर हुए निर्णयानुसार अस्थाई सम्बद्धता प्राप्त पाठ्यक्रम की स्थाई सम्बद्धता हेतु सम्बद्धता शुल्क के चार गुणा शुल्क के बराबर शुल्क लेकर स्थाई सम्बद्धता की कार्यवाही की जा रही है । अतः इस संबंध में माननीय कुलपति महोदय द्वारा दिये गये आदेशों की पुष्टि की गयी तथा अन्य महाविद्यालयों से भी अस्थाई सम्बद्धता प्राप्त पाठ्यक्रम की स्थाई सम्बद्धता हेतु सम्बद्धता शुल्क के चार गुणा शुल्क लिये जाने का निर्णय लिया गया ।	
	3. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के स्मरण-पत्र क्रमांक 1 (5)शिक्षा-4/2016 जयपुर दिनांक 23.04.2025 के अनुसार विश्वविद्यालय के अधिकारी संवर्ग (गैर शैक्षणिक) को पदोन्नति परिलाभ दिये जाने हेतु वित्त विभाग द्वारा समीक्षा एवं परीक्षण हेतु स्वपूरक टिप्पणी एवं आवश्यक दस्तावेज चाहे गये है । इस संदर्भ में विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव सहित विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक की स्वपूरक टिप्पणी सहित प्रस्ताव विभाग को भिजवाया जाना है । अतः कार्यवृत्त के साथ संलग्न (कार्यवृत्त का परिशिष्ट-2) प्रस्ताव को वित्त नियंत्रक की स्वपूरक टिप्पणी के साथ राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया ।	संस्थापन
	4. सत्यार्थ सभागार में 05 वर्ष से भी ज्यादा का समय हो जाने के बावजूद कुर्सियां नहीं लगने एवं बार-बार टेण्डर होने एवं टेण्डर के निरस्त होने के कारणों की जांच हेतु निम्नलिखित समिति का गठन किया गया:- 1. श्री शत्रुघ्न जी गौतम, माननीय विधायक -संयोजक 2. प्रो. शिव प्रसाद 3. प्रो. अनिल दाधीच 4. श्री भागीरथ सिंह लखावत, कोषागार अधिकारी 5. डॉ. सूरज मल राव, सहा. कुलसचिव (सा.प्र.) उक्त समिति शीघ्रातिशीघ्र अपनी रिपोर्ट माननीय कुलपति महोदय को प्रस्तुत करेगी ।	सामान्य प्रशासन

	5. योग विभाग के शिक्षकों को दिये जा रहे मानदेय, राशि रूपये 45,000/- प्रतिमाह को बढ़ाकर 90,000/- प्रतिमाह किये जाने का निर्णय लिया गया ।	संस्थापन
	6. विश्वविद्यालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को पूर्व में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन की अनुमति दी जाती थी । अतः यू.जी.सी. योग्यताधारी एवं पात्र स्थायी अधिकारियों/ कर्मचारियों को अध्यापन की अनुमति दिया जाना चाहिए । चर्चा के दौरान कुलसचिव ने अवगत कराया कि विश्वविद्यालय सेवा नियमों में अंकित प्रावधानानुसार अधिकारियों/कर्मचारियों को अध्यापन की अनुमति नहीं दी जा सकती है । प्रकरण के तथ्यों पर विचार-विमर्श कर विश्वविद्यालय में कार्यरत यू.जी.सी. योग्यताधारी एवं पात्र स्थायी अधिकारियों/कर्मचारियों को, विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में कार्यालय समय के पूर्व एवं पश्चात् अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन करवाने की अनुमति दिये जाने का निर्णय लिया गया ।	संस्थापन
	7. डॉ. रिछपाल सिंह, महामंत्री, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ से प्राप्त पत्र क्रमांक 282 दिनांक 16.05.2025 पर विचार-विमर्श किया गया तथा निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं को सम्पन्न कराने हेतु शिक्षको एवं अशैक्षणिक कर्मचारियों को पूर्व में निर्धारित पारिश्रमिक/मानदेय के स्थान पर राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा जारी कार्यालय आदेश क्रमांक उ.कु.(परीक्षा गोपनीय)/ 2023/1199-1206 दिनांक 02.08.2023 के अनुसार पारिश्रमिक/मानदेय भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया ।	परीक्षा नियंत्रक

बैठक के अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित किया गया ।

कुलपति
24-5-25

कुलसचिव
24/05/2025

मद संख्या 15
कार्यवृत्त का परिशिष्ट - 1

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

कार्यवृत्त

कार्यालय आदेश क्रमांक मदसविवि / परीक्षा–यूजी / 2024 / 30404 दिनांक 4.03.2024 के द्वारा मुख्य परीक्षा 2023 के मानदेय हेतु जारी कार्यालय आदेश क्रमांक 68427 दिनांक 21.12.2023 में रही कुछ विसंगतियों के निवारण के लिए गठित समिति की बैठक आज दिनांक 02.04.2024 को संयोजक महोदय के कक्ष में आयोजित हुई, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित हुए:–

1. कुलानुशासक	–	संयोजक
2. वरिष्ठ लेखाधिकारी	–	सदस्य
3. सहायक कुलसचिव, गोपनीय व परीक्षा	–	सदस्य
4. अनुभागाधिकारी; गोपनीय प्रथम व द्वितीय	–	सदस्य
5. अनुभागाधिकारी, परीक्षा स्नातकोत्तर	–	सदस्य
6. अनुभागाधिकारी, परीक्षा पी.जी. प्रोफेशनल	–	सदस्य
7. अनुभागाधिकारी, परीक्षा स्नातक	–	सदस्य सचिव

समिति ने छठे वेतन आयोग के वेतन के आधार पर दिये जा रहे मानदेय को सातवें वेतन आयोग के वेतनमान के आधार पर निर्धारण हेतु विचार–विमर्श किया गया।

समिति ने इस संबंध में कार्मिक विभाग, ग्रुप–II द्वारा जारी नोटिफिकेशंस क्रमांक एफ. 5(12)DOP/A-II/74 Part7 दिनांक 06.02.2024 एवं दिनांक 03.05.2013 का अवलोकन किया इसी परिप्रेक्ष्य में परीक्षा नियंत्रक द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्रमांक F.11(28)Exam.UG/MDSU/2023/ 68428-438 Dated 21.12.2023 में अंकित क्रम संख्या I^st का (12), V^th का 1, VI^th का क्रम संख्या 1 से 4 तक एवं Statement of Honorarium/remuneration/Various Charge के क्रम संख्या 3 से 6 में अंकित दिवसों का 50 प्रतिशत दिवसों का (आगामी अंकों में round off करते हुए) सातवें वेतन आयोग के मूल वेतन के आधार पर गणना की जाकर मानदेय भुगतान किये जाने एवं जो कार्मिक वर्तमान में छठे वेतन आयोग के अनुसार वेतन प्राप्त कर रहे हैं उन्हें पूर्व में परीक्षा नियंत्रक द्वारा जारी आदेश क्रमांक F.11(28)Exam.UG/MDSU/2023/ 68428-438 Dated 21.12.2023 के अनुसार मानदेय भुगतान किये जाने की अनुशंसा करती है।

संयोजक महोदय के धन्यवाद के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

कुलानुशासक
संयोजक

वरिष्ठ लेखाधिकारी
सदस्य

सहा.कुलसचिव–परीक्षा व गोप.
सदस्य

अनुभागाधिकारी–गोप.I/II
सदस्य

अनुभागाधिकारी–परीक्षा (PG)
सदस्य

अनुभागाधिकारी–परीक्षा(PG&Prof.)
सदस्य

अनुभागाधिकारी परीक्षा(UG)
सदस्य सचिव

मद संख्या 34(3)
कार्यवृत्त का परिशिष्ट-2 34।

S. N.	Post	Presnt Pay Scale as per State Govt.	UGC Pay Scale	Minimum eligibility critria in the Stat for initial appointment	Minimum eligibility critria as per UGC circular for Initial appointmnt	Proposed Pay Scale & Promotion pattern	To be designated as
1	Assistant Registrar & Equivalnt cadre (Selection-As per The Rajasthan Universities' Teachers and Officers (Selection for Appointment) Act No. 18 of 1974)	At entry level VI Pay-G.P.-5400 (15600-39100) VII Pay-L-14 of the State (Initial basic 56100) After 5 Years- No promotion till retiremnt 100% Direct Recruitment	At entry level VI Pay-G.P.-5400 (15600-39100) VII Pay- Academic level 10 (Intial basic 56100) After 5/8 Years- VI Pay-G.P.-6600 (15600-39100)-after 5 years VII Pay-Academic Level-11 (corresponding to GP-6600)-After 8 Years 50% Direct Rcruitment 50% Promotion	3 Years' teaching experienc as Lcturer/Assistant professor in a college/University	No experience required	At entry level VI Pay-G.P.-5400 (15600-39100) VII Pay-Acadmic level-11 (Initial basic 56100) Aftr 5 Years- (as he is having minimum three years' experienc already at entry level) VI Pay-G.P.-6600 (15600-39100) VII Pay-Acad. Level-11 (corresponding to GP-6600) After next 5 Years- (i.e., total 10 yrs), VI Pay-G.P.-7600 (15600-39100) VII Pay-Acad. Levl-12 (corresponding to GP-7600) After next 5 Years- (i.e., total 15 yrs) VI Pay-G.P.-8700 (37400-67000) VII Pay-Acad. Level 13 (corresponding to GP-8700) 50% Direct Recruitment, 50% Promotion	Deputy Registrar (1) Joint Registrar (to be designat only) (2) Additional Registrar & Controller of Examinations (to be designate only, if post is not sanctiond in the University) (3) Note: With the stipulation that the post will revert at (4)
2	Deputy Registrar & Equivalent cadre (Selection-As per The Rajasthan Universities' Teachers and Officers (Selection for Appointment) Act No. 18 of 1974)	At entry level VI Pay-G.P.-6600 (15600-39100) VII Pay-L-16 of the State (Initial basic 67300) After 5 Years- No promotion till retirement 100% Direct Recruitment	At entry level VI Pay-G.P.-7600 (15600-39100) VII Pay-Academic Level-12 (correspoding to GP-7600) After 5 Years- VI Pay-G.P.-8700 (37400-67000) VII Pay-Academic Level 13 (corresponding to GP-8700) 75% Direct Recruitment 25% Promotion	5 Years' teaching experience as a lecturer/assistantprofessor in a college/University OR 5 Years' administrative experience as Assistant Registrar	9 Years' teaching experience as Lecturer/ Assistant professor in a college/ University OR 5 Years' administrative expericee as Assistant Registrar	At entry level VI Pay-G.P.-6600 (15600-39100) VII Pay-Academic Level-11 (corresponding to GP-6600) After 5 Years- (In view of 5 years difference in experience criteria of UGC and state Universities) VI Pay-G.P.-7600 (15600-39100) VII Pay-Acad. Level-12 (corresponding to GP-7600) After next 5 Years- (i.e., total 9 yrs) VI Pay-G.P.-8700 (37400-67000) VII Pay-Acad. Level-13 (corresponding to GP-8700)	Joint Registrar (to be designate only) (6) Additional Registrar & Controller of Examinations (to be designate only, if post is not sanctioned in the University) (7)

3	Additional Registrar, Controller of Examinations & Equivalent cadre (Selection-As per The Rajasthan Universities' Teahers and Officers (Selection for Appointment) Act No. 18 of 1974)	<u>At entry level</u> <u>VI Pay</u>-G.P.-6800 (15600-39100) <u>VII Pay</u>-L-17 of the State (Initial basic 71000) <u>After 5 Years-</u> No promotion till retirement <u>100% Direct Recruitment</u>	<u>At entry level</u> <u>VI Pay</u>-G.P.-10000 (37400-67000) <u>VII Pay-</u> Academic Level 14 (corresponding to GP-10000) <u>100% Direct Recruitment</u>	10 Years' experience	15 Years' teaching experience as an assistant professor with grade pay 7600 in a college/ University	<u>At entry level</u> <u>VI Pay</u>-G.P.-8700 (37400-67000) VII Pay-Acad. Level 13 (corresponding to GP-8700) <u>After 5 Years-</u> <u>VI Pay</u>-G.P.-9500 (37400-67000) <u>VII Pay</u>-L-23 of the State (corresponding to GP-9500)	Note: With the stipulation that the post will revert at original post when it falls vacant by the designated employee.